

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2015—श्रावण 2, शक 1937

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई, 2015

क्र. ई-5-946-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. श्रीनिवास शर्मा, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 6 से 16 जून 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. श्रीनिवास शर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. श्रीनिवास शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीनिवास शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-962-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ को दिनांक 22 से 26 जून 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, को अस्थायी, रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-916-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को दिनांक 22 से 24 जून 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2015

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 22 जून से 10 जुलाई 2015 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 जून एवं 11, 12 जुलाई 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-527-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीर कृष्ण, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 23 से 30 जुलाई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रवीर कृष्ण की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीर कृष्ण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीर कृष्ण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीर कृष्ण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-670-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 6 से 10 जुलाई 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-883-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को दिनांक 1 से 12 जून 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। (दिनांक 5 से 12 जून 2015 तक की अवधि

एक्स इंडिया अवकाश के रूप स्वीकृत) उक्त अवकाश साथ दिनांक 31 मई एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-594-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 6 से 12 जून 2015 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2015

क्र. ई-5-857-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. आयएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 6 से 17 जुलाई 2015 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 18, 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार गहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्र. ई-5-848-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 30 मई से 27 जून 2015 तक, उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-143-2015-5-एक.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग भी घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्र. ई-1-253-2015-5-एक.—श्री धनराजू एस. भाप्रसे (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को अस्थायी, रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जबलपुर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-209-2015-5-एक.—श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन को आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. ई-1-208-2014-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा श्री आशीष भार्गव, भा.प्र.से. (2012) की पदस्थापना सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर की गई थी, को एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें अस्थायी, रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला भोपाल पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2015

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 13 जुलाई से 01 अगस्त 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जुलाई एवं 2 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीतेश कुमार व्यास, आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-213-2015-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13017-19-2015-AIS-I, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा सुश्री भव्या मित्तल, परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. (2014) की सेवाएं महाराष्ट्र संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीधी पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2015

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, भा.प्र.से. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 03 से 04 जुलाई 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 5 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2015

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई, 2015 द्वारा दिनांक 03 से 17 जून 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 03 से 06 जून 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 7 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई, 2015 अनुसार यथावत्।

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा दिनांक 22 जून से 06 जुलाई 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 जून से 06 जुलाई 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश, कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून, 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-465-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 20 से 28 जुलाई 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रेमचंद मीना की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रेमचंद मीना द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. पी. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अँटोनी डिसा, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. एफ.03-08-2015-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर, लोकायुक्त, भोपाल को विदेश भ्रमण हेतु दिनांक 20 जुलाई 2015 से 05 अगस्त 2015 तक, कुल सत्रह दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ पश्चात्पूर्वी राजपत्रित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जुलाई, 2015 को उक्त अवकाश के साथ जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर को अवकाश वेतन एवम् भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर, यदि अवकाश पर नहीं जाते, तो वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेश कौल, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्र. ई-5-834-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश 5 जून 2015 द्वारा दिनांक 8 से 12 जून 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 7 एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 8 से 18 जून 2015 तक, ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 7 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून, 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. ई-5-851-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएस., कलेक्टर, जिला विदिशा को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर दिनांक 05 से 08 मई 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 04 तथा 09, 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".**

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015

फा. क्र. 1(बी)-07-2004-21-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-9-14 के द्वारा श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील-नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री दिनेश शर्मा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील-नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के आधार पर नियम 20 के अंतर्गत कार्य और आचरण उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.**

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2015

क्र. 4532-एफ-3-1-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री संजय कुमार शुक्ल (भा.प्र.से. 1994) का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58 (सी)(i) एवं (ii) के प्रावधानों के अंतर्गत एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.

क्र. 4534-एफ-3-33-2009-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री रवि सेठी, मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58 (जी) (i) एवं (v) के प्रावधानों के अंतर्गत म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्र. 4758-एफ-3-9-2009-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 (एच) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुखवीर सिंह को प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर के पद पर दिनांक 12-4-2015 के पश्चात तीन वर्षों के लिये पुनर्नियुक्ति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्र. एफ-1-54-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, यातायात पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर-ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-V, 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. 13 जुलाई 2015 से दि. 24 जुलाई 15 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में, दिनांक 27 जुलाई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक अमेरिका, में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्रीमती सुषमा सिंह. भापुसे, ने दि. 01 अगस्त 2015 एक दिवस का अर्जित एवं दिनांक 02 अगस्त 15 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ (एक्स इंडिया लीव्ह) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, यातायात पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 06, 07 जुलाई 2015

क्र. एफ-1-77-2015-ब-2-दो.—श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (आपदा प्रबंधन) होमगार्ड, म. प्र. भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-V, 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13-07-2015 से दिनांक 24-07-2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में, दिनांक 27-07-2015 से दिनांक 31-07-2015 यूएसए, अमेरिका, में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्री पाण्डेय, भा.पु.से. को दि. 01-08-15 से 05-08-2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ (एक्स इंडिया लीव्ह) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (आपदा प्रबंधन) होमगार्ड, म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ-1-65-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम एवं सिक्वोरिटी वॉच इंडिया, नई दिल्ली की ओर से दिनांक 13-14 जुलाई, 2015 को लंदन (यू. के.) में आयोजित “Smart Secure and Sustainable Cities India Investment Summit” में Keynote

Speaker के तौर पर स्मार्ट सिटी (डायल-100 आदि) विषय पर सेमिनार में प्रस्तुति देने के लिए नामांकित किया गया है। उक्त सेमिनार में प्रस्तुति हेतु दि. 15-07-2015 से 17-07-15 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश के साथ (एक्स इण्डिया लीव्ह) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**व्ही. के. श्रीवास**, अवर सचिव।

## मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2015

क्र. 950-2552-2012-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल का दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल के अवकाश खाते में 235 दिवस का अर्जित अवकाश 30 जून 2015 की स्थिति में शेष रहेंगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुरोहित अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कलिस्ता कुजूर**, अवर सचिव।

## जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा-(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 20 जुलाई, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दशरथ कुमार**, उपसचिव।

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. 851-1483-2013-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, उज्जैन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी। संस्था द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलिटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी।

(2) उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर उज्जैन को छूट प्रदान की गई उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व आगामी वर्ष के लिये छूट प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीनिवास शर्मा**, उपसचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 जून 2015

फा. क्र. 17(ई)8-2012-1268-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1, 5 और 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, द्वादश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2, भोपाल	भोपाल
5	श्री शिवचरण पाण्डे, अष्टम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-1, ग्वालियर	ग्वालियर
8	श्री अफसर जावेद खान, सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2, इंदौर	इंदौर

F. No. 17(E)8-2012-1268-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this department's Notification F. No.17(E)8-2012-XXI-B(One) dated 02nd March 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 2nd March 2012:—

### AMENDMENT

In the said Notification for Serial No. 1, 5 & 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted:—

### TABLE

S. No.	Name of the Judge	Name of the Special Court constituted u/s 3 (1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011	Headquarter
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Upendra Pratap Singh, XIIth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Special Court No. 2, Bhopal	Bhopal
5	Shri Shiv Charan Pandey, VIIIth Additional Sessions Judge, Gwalior.	Special Court No. 1, Gwalior	Gwalior
8	Shri Afsar Javed Khan, VIIth Additional Sessions Judge, Indore.	Special Court No. 2, Indore	Indore



भोपाल, दिनांक 10 जून 2015

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1390-015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 10, 11, एवं 77 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	बैतूल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
11	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई	मुलताई का विद्युत् क्षेत्र
77	रीवा	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-1390-015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 10, 11 & 77 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Betul.	All electricity area of Civil District Betul (exculding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number-11).
11	Betul	Ist Additional Sessions Judge, Multai	Electricity area of Multai.
77	Rewa	IIIrd Additional Sessions Judge, Rewa.	All electricity area of South Division of Civil District Rewa.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1391-015.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 10, 11, 77 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
10	बैतूल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	कु. सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
11	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई	श्री पदमेश शाह, प्रथम अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश, मुलताई.
77	रीवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री संजय कुमार कस्तवार, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा.
94	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर.	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-1391-015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 10, 11, 77 & 94 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No. (1)	Name of Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
10	Betul	IInd Additional Sessions Judge, Betul.	Ku.Suman shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Betul.
11	Betul	Ist Additional Sessions Judge, Multai	Shri Padmesh Shah, Ist Additional Sessions Judge, Multai.
77	Rewa	IIIrd Additional Sessions Judge, Rewa.	Shri Sanjay Kumar Kastwar, IIIrd Additional Sessions Judge, Rewa.
94	Shajapur	IInd Additional Sessions Judge, Shujalpur.	Smt. Divyagna Joshi Pandey, IInd Additional Sessions Judge, Shujalpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

**वाणिज्यिक कर विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच(28).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2015-1-पांच(18), दिनांक 31 मार्च, 2015, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 137, दिनांक 31 मार्च 2015 में पृष्ठ क्रमांक 274(2) से 274(3) तक प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाना है:—

अ. क्र. (1)	राजपत्र की पृष्ठ संख्या (2)	अधिसूचना की पंक्ति क्र. (3)	अशुद्ध (4)	शुद्ध (5)
1.	274(3)	पंक्ति क्रमांक—27	sub clause(ii)	sub clause(iii)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.**

**संस्कृति विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जून 2015

क्र. 2952-2014-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्थीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

**अनुसूची**

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भिण्ड	गोहद	ग्राम गोहद	इटायली प्रवेश द्वार, गोहद.	1597	30X50 =1500	शासकीय	नहीं
म. प्र.	भिण्ड	गोहद	ग्राम-गोहद	खरौआगेट	1718	30X50 =1500	शासकीय	नहीं
म. प्र.	भिण्ड	गोहद	ग्राम-गोहद	बिरखड़ी	1718	25X50 =1250	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.**

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम विभाग), जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 2 जून 2015

क्र. . . . भू-अभि. ब. श्र.-99.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्र. 19-1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिए "मध्यप्रदेश" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ:—

### जिला—अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा—2 "क" के अधीन

जिला दण्डाधिकारी जिला—अलीराजपुर

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा—2 "ख" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1. श्री नागरसिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर | सदस्य |
| 2. श्री माधौ सिंह डाबर विधायक, जोबट, जिला अलीराजपुर       | सदस्य |
| 3. श्री नर सिंह मोर्य सदस्य, जिला पंचायत, जिला अलीराजपुर  | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा—2 के खण्ड "ग" के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य

- |                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. श्री राजु मोदी सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर                  | सदस्य |
| 2. श्री दशरथ सिंह चंदेल अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अलीराजपुर | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा—2 के खण्ड "घ" के अधीन

- |                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर (म. प्र.)                | सदस्य |
| 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला अलीराजपुर (म. प्र.)              | सदस्य |
| 3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग, जिला अलीराजपुर | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा—2 के खण्ड "ड" के अधीन

- |                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) | सदस्य |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

क्र. . . . ब. श्र.-2008.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्र. 19-1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर उप खण्डों के लिए "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूँ:—

उपखण्ड अलीराजपुर, जिला—अलीराजपुर :

- |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. धारा 13 की उपधारा 3 "क" के अधीन                                     | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर                                                                                                                                                  |
| 2. धारा 13 की उपधारा 3 "ख" के अधीन<br>अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य | 1. श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर<br>2. श्रीमती सुनीता इन्दर सिंह चौहान<br>अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अलीराजपुर.<br>3. श्री भल सिंह, नि. राजावाट<br>अध्यक्ष, अलीराजपुर विकास समिति. |

3. धारा 13 की उपधारा 3 "ग" के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता.

1. श्री ब्रज मोहन बेड़िया  
अध्यक्ष, किराना व्यापारी एसोसिएशन, अलीराजपुर.
2. श्री कृष्ण कान्त बेड़िया  
अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच, अलीराजपुर.

4. धारा 13 की उपधारा 3 "घ" के अधीन

1. परियोजना प्रशासक  
आई.टी.डी.पी., अलीराजपुर.
2. श्रीमती शरमी बाई  
अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्टीवाडा.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत, कट्टीवाडा.

5. धारा 13 की उपधारा 3 "ड" के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य.

1. प्रबंधक  
भारतीय स्टेट बैंक शाखा, अलीराजपुर.

उपखण्ड जोबट, जिला अलीराजपुर:

1. धारा 13 की उपधारा 3 "क" के अधीन

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट

2. धारा 13 की उपधारा 3 "ख" के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री माधौ सिंह डाबर, विधायक जोबट
2. श्रीमती गिनकी बाई, सरपंच, खण्डालाराव, जनपद पंचायत उदयगढ़, जिला अलीराजपुर.
3. श्री कालू  
जनपद सदस्य, जोबट.

3. धारा 13 की उपधारा 3 "ग" के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता.

1. श्री राकेश अग्रवाल  
अध्यक्ष, नागरिक मंच, जोबट.
2. श्री अजय जायसवाल,  
उपभोक्ता जागरूक मंच, ब. शे. आ. नगर.

4. धारा 13 की उपधारा 3 "घ" के अधीन

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत, चन्द्र शेखर आजाद नगर.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत, जोबट.
3. श्रीमती गनी बाई, अजनार  
अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उदयगढ़.

5. धारा 13 की उपधारा 3 "ड" के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य.

1. प्रबंधक,  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, जोबट.

**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश**  
**518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर**  
इंदौर, दिनांक 4 जून 2015

क्र. 1-2-नवम-(1)86.—मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूँ:—

क्रमांक (1)	निरीक्षक का नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1	श्री रविन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक	पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किंतु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41(3) के अध्यायीन होगा.
2	श्री हरीशचन्द्र चौकरिया, श्रम उप निरीक्षक	

इंदौर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्र. 1-2-नवम-(1)86.—मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूँ:—

क्रमांक (1)	निरीक्षक का नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1	श्री शिवकुमार वर्मा, श्रम निरीक्षक	पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये, किंतु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41(3) के अध्यायीन होगा.

के. सी. गुप्ता, श्रमायुक्त.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश**  
देवास, दिनांक 6 जुलाई 2015

क्र. 571-सवबान-2015—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत मण्डी समिति खातेगाँव के लिये माननीय श्री आशीष गोविंद शर्मा, विधायक विधान सभा क्षेत्र—173 खातेगाँव की और से श्री राजाराम लकतेडिया पिता श्री भोलू लकतेडिया, निवासी, ग्राम डोकाकुई तहसील कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

**कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी**  
**स्थानीय, निर्वाचन, जिला—उज्जैन, मध्यप्रदेश**  
उज्जैन, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्र. स्था.निर्वा.-मण्डी-12-26-2015-602.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 के खण्ड (ज) के अंतर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक के निम्न दर्शित सदस्यों को कॉलम 2 में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
1	कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन	श्री किशनसिंह भटोल, अध्यक्ष जि.स.के. बैंक
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बडनगर	श्री धनसिंह पंवार, संचालक, जि.स.के. बैंक
3	कृषि उपज मण्डी समिति, महिंदपुर	श्री किशोरलाल मेहता, उपाध्यक्ष, जि.स.के. बैंक
4	कृषि उपज मण्डी समिति, तराना	श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक, जि.स.के. बैंक
5	कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद	श्री भरतदास बैरागी, संचालक, जि.स.के. बैंक
6	कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा	श्री देवेन्द्रसिंह डोडिया, संचालक, जि.स.के. बैंक
7	कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल	श्री दिनेश परिहार, संचालक, जि.स.के. बैंक

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

आदेश

क्र. एफ. 87-15-ग्या.-15-641.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बडौदा, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में सुश्री उमा महावीर गोड़ अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री उमा महावीर गोड़, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 31 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री उमा महावीर गोड़ द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़, को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 फरवरी 2015 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में सुश्री उमा महावीर गोड़ से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15

15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 मार्च 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 16 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि—“अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ को कारण बताओ नोटिस तामीली होने के उपरान्त नोटिस में उल्लेखित अवधि में इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ को दिनांक 30 जून 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। किन्तु अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 26 मई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री उमा महावीर गोड़ द्वारा निहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री उमा महावीर गोड़ को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बडौदा जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 87-15-ग्या.-15-642.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया

हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका, के पास दाखिल किया जाएगा.

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बडौदा, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में सुश्री कौशल्या बाई सुमन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री कौशल्या बाई सुमन, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 31 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कौशल्या बाई सुमन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कौशल्या बाई सुमन, को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 फरवरी 2015, जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में सुश्री कौशल्या बाई सुमन से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि—“अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त नोटिस में उल्लेखित अवधि में इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. ना ही प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को दिनांक 30 जून 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 26 मई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री कौशल्या बाई सुमन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का करने में कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कौशल्या बाई सुमन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बडौदा, जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 67-05-14-तीन-647.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.



माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में मो. इंद्रिस अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के उपबंध के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक मो. इंद्रिस को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मो. इंद्रिस द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समय अवधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवधि अभ्यर्थी मो. इंद्रिस, को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में मो. इंद्रिस से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक हेतु आवेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी मो. इंद्रिस को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः मो. इंद्रिस को 02 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी मो. इंद्रिस का इस संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 8 सितम्बर 2014 आयोग को प्राप्त हुआ. अतः प्राप्त अभ्यावेदन को आयोग के ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला—सीधी को भेजकर, अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में अभिमत कलेक्टर से चाहा गया. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय-निर्वाचन), जिला—सीधी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक में प्रतिवेदित किया गया कि—अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन में बताये गए तथ्य समाधान योग्य एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते, क्योंकि अभिकर्ता से निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्राप्त करने का दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का है तथा सामान्य स्वरूप के निजी कार्यों की व्यस्तता से निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में जमा नहीं किया जाना तर्कसंगत एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते.

उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी मो. इंद्रिस को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी मो. इंद्रिस व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना-पत्र की तामिली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च, 2015 को हो चुकी थी. अभ्यर्थी, मो. इंद्रिस द्वारा आयोग को अभ्यावेदन को साथ व्यय लेखों से संबंधित दस्तावेज भेजे गए. अभ्यावेदन में अभ्यर्थी का कथन था कि—इतना अवश्य है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन कार्यालय में 6 सितम्बर 2014 को जमा किया गया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मो. इंद्रिस द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबंधों के अन्तर्गत मो. इंद्रिस को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 67-05-14-तीन-648.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में महेश प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख उपबंध के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री महेश प्रसाद गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का

लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री महेश प्रसाद गुप्ता, को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना में श्री महेश प्रसाद गुप्ता से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री महेश प्रसाद गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया। अतः श्री महेश प्रसाद गुप्ता को दिनांक 02 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी श्री महेश प्रसाद गुप्ता का इस संबंध में अभ्यावेदन सह संलग्नक आयोग को प्राप्त हुए। अतः प्राप्त अभ्यावेदन को आयोग के ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला—सीधी को भेजकर, अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में अभिमत कलेक्टर से चाहा गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय-निर्वाचन), जिला—सीधी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि—श्री महेश प्रसाद गुप्ता, अभ्यर्थी, नगरपालिका परिषद्, सीधी द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है निर्वाचन के बाद अस्वस्थता के कारण शहर से बाहर जाकर इलाज कराने एवं निर्वाचन अभिकर्ता भी नगरपालिका क्षेत्र से कहीं अन्यत्र चले जाने से निर्वाचन व्यय लेखा जमा होने अथवा जमा नहीं होने की जानकारी मुझे नहीं थी। अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से शारीरिक अस्वस्थता के कारण उपचार हेतु बाहर जाने का लेख किया गया है, जिससे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में विलंब हेतु बताये गए कारण औचित्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्री महेश प्रसाद गुप्ता को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री महेश प्रसाद गुप्ता व्यक्तिगत हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। सूचना-पत्र की तामिली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च, 2015 को हो चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेश प्रसाद गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 67-05-14-तीन-649.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद्, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री नीरज शर्मा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री नीरज शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नीरज शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा, को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री नीरज शर्मा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री नीरज शर्मा को दिनांक 19 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वा.) जिला—सीधी (म. प्र.) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा की ओर से कोई अभ्यावेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है. उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना-पत्र की तामिली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च 2015 को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री नीरज शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नीरज शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 67-05-14-तीन-650.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री प्रताप राय, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख उपबंधों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री प्रताप राय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री प्रताप राय निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में श्री प्रताप राय से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री प्रताप राय को 18 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वा.) जिला—सीधी (म. प्र.) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का

उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री प्रताप राय की ओर से कोई अभ्यावेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है। उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री प्रताप राय व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च 2015 को हो चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री प्रताप राय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री प्रताप राय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ. 67-05-14-तीन-651.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद्, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री लवकुश तिवारी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका

अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री लवकुश तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री लवकुश तिवारी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में श्री लवकुश तिवारी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 04 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया। अतः श्री लवकुश तिवारी को दिनांक 19 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला—सीधी (म. प्र.) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी की ओर से निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 08 सितम्बर 2014 को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उनके द्वारा विलंब से लेखा प्रस्तुत करने बावत कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय लेखा में शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं है। उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 25 मार्च 2015 को हो चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री लवकुश तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लवकुश तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 29 जून 2015

क्र. 179-आर.डी.एम.-2015.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)-20/2014/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 एवं सहायक पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पृ. क्रमांक पु.मु./18/योजना/3/6-ए/दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस अधीक्षक सीधी के पत्र क्रमांक पु.अ./सीधी/एसी-1/2292/पी(2)/2015 दिनांक 24 जून 2015 के अनुसार 5000 नवीन पदों के अन्तर्गत जिला सीधी में सुरक्षा व्यवस्था हेतु नवीन पुलिस चौकी की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रदान की गई है. जिला सीधी अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम थाना/चौकी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं:—

## पुलिस थाना—नवीन चौकी की स्थापना

क्र.	नवीन पुलिस चौकी नाम	ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा (वार्ड . . . . में स्थित है)	पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवीन चौकी सेमरिया	सेमरिया (अ-वर्ग), बढौरा, हनुमानगढ़, मनकीशर, झगरहा (ब-वर्ग), नौगवा, पोड़ी, रामगढ़, चूल्ही, मड़वा, (स-वर्ग), करौदिया, नौसा, दुधमनिया, भमरहा, बोकरो, मिर्चवार, कोल्हुआ, करनपुर, बेलदह, गेदुरा, भोलगढ़, कथरिहा, पुरुषोत्तमगढ़, टिकुरी-टोला, धनिगवां, ठकुरदेवा, कुल—26	थाना चुरहट
1.	नवीन चौकी सिहावल	सिहावल (अ-वर्ग), रामपुर, चितवरिया, घोपारी, बघोर, सवैचा (ब-वर्ग), केसौली, लिलवार, दुधमनिया, बाकी, गेरुआ, मेढौली, बमुरी (स-वर्ग), लदबद, सत्तिहा, बरबसा, दमगड़ी, धोबौंही, मड़रिया वीरान, ब्योहार खांड, देवगांव, बल्हैया, करकोटा, अंतरेला, गोड़गाव, धुब्बार, ढेकऊ वीरान, सलैही, केराई बघोर, कुल—29	थाना अमिलिया

नवसृजित चौकी सेमरिया के 26 गांव थाना चुरहट से एवं नवीन चौकी सिहावल के 29 गांव थाना अमिलिया से उपरोक्तानुसार कालम नं. 1 में वर्णित नवसृजित चौकी में एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं. उक्त नवसृजित चौकी सेमरिया एवं नवसृजित चौकी सिहावल के संचालन/संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है.

विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

## कार्यालय, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन

## उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून 2015

क्र. 9905-एस. डब्ल्यू.-2015.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.

अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना—पिपरिया के निम्नलिखित 65 ग्राम तथा थाना बनखेड़ी के

02 ग्राम, नवीन स्वीकृत थाना—स्टेशन रोड पिपरिया में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं:—

थाना बनखेड़ी के निम्न 02 ग्राम नवीन थाना—पिपरिया में सम्मिलित करने हेतु.

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	नयागांव
2.	महाराजगंज

थाना—पिपरिया के निम्न 65 ग्राम नवीन थाना—स्टेशन रोड पिपरिया में सम्मिलित करने हेतु.

(1)	(2)
1.	रायखेड़ी
2.	सर्रा

(1)	(2)	(1)	(2)
3.	लांझी	35.	मटकुली
4.	टड़ा	36.	डोकरीखेड़ा
5.	बुधनी	37.	बोरी
6.	बांसखेड़ा	38.	आमादेही
7.	ढूढ़ा देहलवाड़ा	39.	मेली
8.	पाली	40.	अन्होनी
9.	नंदवाड़ा	41.	खारी
10.	बूचाल	42.	रयैयतवाड़ा
11.	आलीवाड़ा	43.	मेंदीखेड़ा
12.	रिछैड़ा	44.	टेकापार
13.	बीजनवाड़ा	45.	चिल्लोद
14.	खैरीखुर्द	46.	पाठईमाल
15.	पनारी	47.	झिरिया
16.	बनवारी	48.	छिरई
17.	तरोनकला	49.	माधव
18.	कल्लू खापा	50.	मोगरा
19.	सीमारा	51.	मोहगांव
20.	घोघरी	52.	डापका
21.	समनापुर	53.	पिसुआ
22.	कुम्हाबड़	54.	चन्दन पिपरिया
23.	बम्होरी	55.	चौका
24.	उमरिया	56.	कूकरा
25.	मोकलवाड़ा	57.	पट्टल
26.	नाहरवाड़ा	58.	खारीखेड़ा
27.	महुआखेड़ा	59.	सोनपुर
28.	बोड़ना ठाकुर	60.	नान्दनेर
29.	खैरीकला	61.	पारसीपानी
30.	मोहारी खुर्द	62.	बिन्डाखेड़ा
31.	मोहारी कला	63.	अन्जनढाना
32.	हथनीखापा	64.	वारीदेवी
33.	सांगई	65.	आमादेही रैयतवाड़ी
34.	तरोनखुर्द		

क्र. 9907-एस. डब्लू.-2015.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.

अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों/मोहल्लों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना—इटारसी के निम्नलिखित 29 ग्राम/मोहल्लों तथा थाना पथरोटा के 03 ग्राम, नवीन स्वीकृत चौकी पुरानी इटारसी में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं:—

थाना पथरोटा के निम्न 03 ग्राम नवीन चौकी पुरानी इटारसी में सम्मिलित करने हेतु.

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	देहरी
2.	जुझारपुर
3.	इंडियन आयल डिपो

थाना—इटारसी के निम्न 29 ग्राम/ मोहल्लों नवीन चौकी पुरानी इटारसी में सम्मिलित करने हेतु.

(1)	(2)
1.	सनखेड़ा नाका
2.	मेहतर मोहल्ला
3.	दक्षिणी बंगलिया
4.	काबड़ मोहल्ला
5.	गौड़ी मोहल्ला
6.	दर्जी मोहल्ला
7.	घटली रोड
8.	टेक्टर स्कीम
9.	हाउसिंग बोर्ड कालोनी
10.	सरदार पटेल पुरा
11.	राम मंदिर क्षेत्र
12.	बिहारी कालोनी
13.	सी.पी.ई.
14.	कोर्ट एरिया
15.	तवा कालोनी

(1)	(2)
16.	प्यासा नगर
17.	चयन कालोनी
18.	वर्मा कालोनी
19.	दीवान कालोनी
20.	हाउसिंग बोर्ड कालोनी
21.	पलकमती नगर
22.	शास्त्रीनगर
23.	एफ.सी.आई.
24.	नरेन्द्र नगर
25.	व्यंकटेश नगर
26.	माल गोदाम
27.	12 बंगला
28.	03 बंगला
29.	स्वराजपुरी कालोनी

क्र. 9909-एस. डब्लू.-2015.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.

अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों/वार्डों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना—होशंगाबाद के निम्नलिखित 09 ग्राम/वार्डों नवीन स्वीकृत चौकी एस. पी. एम. होशंगाबाद में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं:—

थाना होशंगाबाद के निम्न 09 ग्राम/वार्डों नवीन चौकी एस.पी.एम. होशंगाबाद में सम्मिलित करने हेतु.

क्रमांक	ग्राम/वार्ड का नाम
(1)	(2)
1.	ग्वालटोली
2.	आदमगढ़
3.	ईदगाह मोहल्ला
4.	खोजनपुर
5.	सिंधी कालोनी
6.	एस.पी.एम.
7.	बंगाली कालोनी
8.	भोपाल तिराहा
9.	महिमा नगर

संकेत भोंडवे, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्र. 49-स्था. निर्वा. म. नि.-137-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम-2010 के अंतर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ.

क्रं. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
01	कृषि उपज मण्डी समिति 180-बिजावर	श्री प्रभूदयाल अग्रवाल तनय श्री भुमानीदीन अग्रवाल निवासी गुलगंज तहसील बिजावर जिला-छतरपुर, म. प्र.	मण्डी अधिनियम की धारा-11(1) (घ).

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

## न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 30 जून 2015

प्र. क्र. 01-अ-3-2014-15.—ग्रामवासी ग्राम कालूखेड़ा एवं मजरा सेमलिया, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सेमलिया, ग्राम पंचायत कालूखेड़ा में आता है तथा सेमलिया मजरा के रूप में होकर इसकी आबादी लगभग 2000 होकर मतदाता की संख्या 965 हैं. ग्राम के विकास हेतु सेमलिया को राजस्व ग्राम घोषित किया जावे.

2. उपर्युक्त आवेदन पत्रादि जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को भेजे जाने पर उनके द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार पिपलोदा को नियमानुसार जांच प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पालन में तहसीलदार पिपलोदा द्वारा जांच में क्रम में प्रकरण क्रमांक 2607-बी-121-14-15 दर्ज कर विज्ञप्ति जारी की गई तथा राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत कालूखेड़ा को प्रतिवेदन हेतु लिखा गया. नियत अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं. ग्राम पंचायत, कालूखेड़ा की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 2-10-2014 में प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 15 सर्वसम्मति से मजरा सेमलिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी पारित किया गया. तहसीलदार, पिपलोदा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त समस्त का उल्लेख करते मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को भेजे जाने पर उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 13-अ-74-14-15 में अनुशंसा टीप सहित प्रकरण अधीक्षक, भू-अभिलेख रतलाम को भेजे जाने पर अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा भी अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया.

3. ग्रामवासी ग्राम कालूखेड़ा एवं सेमलिया तहसील पिपलोदा के अनुरोध, ग्राम सभा कालूखेड़ा के प्रस्ताव ठहराव, अधीनस्थ के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत, कालूखेड़ा, प.ह.नं. 10 के अन्तर्गत मजराह सेमलिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम कालूखेड़ा में यथावत रहेगा.

तहसील	मूल ग्राम एवं प.ह.नं.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम	खाता	गैर खाता	कुल सर्वे क्रमांक	खाता	गैर खाता	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या
पिपलोदा	कालूखेड़ा	सेमलिया	1260	227	1487	607.812	83.138	690.650	1681
	प.ह.नं.-10	कालूखेड़ा	1627	351	1978	827.503	179.674	1005.177	3355

अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला रतलाम उक्त दोनों राजस्व ग्रामों के पृथक्-पृथक् अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.



## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्र. एस.डब्ल्यू-2015-176.—राज्य शासन के पत्र क्रमांक-एफ 2(क)-20-2014-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक-पुमु-18-योजना-3-6-ए, दिनांक 18 मई 2015 के द्वारा चौकी गाडासरई को नवीन थाना में अपग्रेड किया जाकर निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

निरी.	उप नि.	स.उ.नि.	प्र.आर.	आरक्षक	आरक्षक (चालक)	योग
01	01	03	04	06	01	16

अतः, शासन के निर्देशों के परिपालन में डिण्डौरी जिले के गाडासरई चौकी को नवीन थाना में अपग्रेड किया जाता है. गाडासरई नवीन थाना अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कुल 64 ग्राम की सूची निम्नानुसार है :—

## थाना गाडासरई के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कुल 64 ग्रामों की सूची

क्र.	गांव/मोहल्ले का नाम	वर्तमान थाने का नाम	पूर्व में जिस थाना अन्तर्गत था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गाडासरई	गाडासरई	बजाग
2	बरगांव	गाडासरई	बजाग
3	सुकुलपुरा रैयत	गाडासरई	बजाग
4	लिखनी	गाडासरई	बजाग
5	लालपुर पटपरा	गाडासरई	बजाग
6	शोभापुर	गाडासरई	बजाग
7	सुनियामार	गाडासरई	बजाग
8	बोंदर	गाडासरई	बजाग
9	बसनिया रैयत	गाडासरई	बजाग
10	झिझरी	गाडासरई	बजाग
11	गिरवरपुर माल	गाडासरई	बजाग
12	चंदना	गाडासरई	बजाग
13	परसवाह	गाडासरई	बजाग
14	मोहतरा	गाडासरई	बजाग
15	गोरखपुर माल	गाडासरई	बजाग
16	भलखोहा माल	गाडासरई	बजाग
17	लालपुर सानी	गाडासरई	बजाग
18	गन्नागुडा	गाडासरई	बजाग
19	बच्छरगांव रैयत	गाडासरई	बजाग
20	बच्छरगांव माल	गाडासरई	बजाग
21	कोसमडीह	गाडासरई	बजाग
22	करौंदी रैयत	गाडासरई	बजाग
23	करौंदी माल	गाडासरई	बजाग

(1)	(2)	(3)	(4)
24	केवलारी	गाड़ासरई	बजाग
25	उफरी	गाड़ासरई	बजाग
26	सुकलपुरा	गाड़ासरई	बजाग
27	पाटन	गाड़ासरई	बजाग
28	रतना मा.	गाड़ासरई	बजाग
29	माधोपुर	गाड़ासरई	बजाग
30	धावाडोंगरी	गाड़ासरई	बजाग
31	मानिकपुर	गाड़ासरई	बजाग
32	अतरिया रैयत	गाड़ासरई	बजाग
33	अतरिया माल	गाड़ासरई	बजाग
34	बरसौद	गाड़ासरई	बजाग
35	भौंखाडोंगरी	गाड़ासरई	बजाग
36	सिलयारी	गाड़ासरई	बजाग
37	मझियाघाट रैयत	गाड़ासरई	बजाग
38	गुरूमगांव	गाड़ासरई	बजाग
39	गुरूमगांव रैयत	गाड़ासरई	बजाग
40	खमरिया रैयत	गाड़ासरई	बजाग
41	गिरवरपुर रैयत	गाड़ासरई	बजाग
42	किकरा तलाब	गाड़ासरई	बजाग
43	रतना रैयत	गाड़ासरई	बजाग
44	पथरकुचा रैयत	गाड़ासरई	बजाग
45	पथरकुचा मॉल	गाड़ासरई	बजाग
46	मूसामुडी रैयत	गाड़ासरई	बजाग
47	मूसामुडी माल	गाड़ासरई	बजाग
48	जामपानी	गाड़ासरई	बजाग
49	धनरास	गाड़ासरई	बजाग
50	गुवारी	गाड़ासरई	बजाग
51	गोरखपुर रैयत	गाड़ासरई	बजाग
52	भलखोह	गाड़ासरई	बजाग

उक्त ग्राम पूर्व से ही चौकी गाड़ासरई के अन्तर्गत थे, किन्तु नवीन थाना अपग्रेड हो जाने के बाद अन्य थाना क्षेत्र डिण्डौरी, बजाग एवं करंजिया से कुल निम्नानुसार 12 ग्रामों को भी पृथक् कर नवीन थाना गाड़ासरई में सम्मिलित किया जाता है:—

क्र.	गांव/मोहल्ले का नाम	वर्तमान थाने का नाम	पूर्व में जिस थाना अन्तर्गत था
(1)	(2)	(3)	(4)
53	सिवरी	गाड़ासरई	डिण्डौरी
54	सोन्हादार	गाड़ासरई	डिण्डौरी
55	सुनपुरी	गाड़ासरई	डिण्डौरी
56	लबैदा	गाड़ासरई	बजाग

(1)	(2)	(3)	(4)
57	धोपदपुर	गाड़ासरई	बजाग
58	धनौली	गाड़ासरई	बजाग
59	भुसण्डा	गाड़ासरई	बजाग
60	बिठलदा	गाड़ासरई	बजाग
61	पाटनगढ़	गाड़ासरई	करंजिया
62	लालखाती	गाड़ासरई	करंजिया
63	सुनपुरी	गाड़ासरई	करंजिया
64	पटपरा	गाड़ासरई	करंजिया

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील है.

छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 6 जुलाई 2015

क्र. . . .दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियों मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (4) 15/99/बी-3/दो, दिनांक 11-10-2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है, उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2015 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्तंभ क्रमांक-1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:-

क्र.	राजस्व ग्राम/क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक-1	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्रमांक-2	थाना/चौकी क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक-3
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अफजलपुर	दलौदा रेल्वे पटरी से लगे	
		1. रूचि सोया	चौकी दलौदा (थाना भावगढ़)
		2. शुगर मील	चौकी दलौदा (थाना भावगढ़)
		3. झुग्गी झोपड़ियाँ	चौकी दलौदा (थाना भावगढ़)
2.	पिपलिया मण्डी	कस्बा पिपलिया मण्डी	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
3.	पिपलिया मण्डी	जलोदिया	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
4.	पिपलिया मण्डी	खात्याखेड़ी	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
5.	पिपलिया मण्डी	गुडभेली	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
6.	पिपलिया मण्डी	मूंदेडी	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
7.	पिपलिया मण्डी	काचरिया चन्द्रावत	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
8.	पिपलिया मण्डी	लुनाहेड़ा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
9.	पिपलिया मण्डी	उजागरिया	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
10.	पिपलिया मण्डी	बाबुखेड़ा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
11.	पिपलिया मण्डी	ढिकनिया	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	पिपलिया मण्डी	चावली	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
13.	पिपलिया मण्डी	बोरखेड़ी	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
14.	पिपलिया मण्डी	मिण्डलाखेड़ा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
15.	पिपलिया मण्डी	पलेवाना	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
16.	पिपलिया मण्डी	बैलारा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
17.	पिपलिया मण्डी	हरीपुरा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
18.	पिपलिया मण्डी	लसुडिया राठौर	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
19.	पिपलिया मण्डी	टिलाखेड़ा	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
20.	पिपलिया मण्डी	देवरी	चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा

स्वतंत्र कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, एवं पदेन उपसचिव (गृह).

### गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. एफ-2-क-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों का विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपासरण करते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तरीख से:—

एक—नीचे दी गई सारणी के कालम एक में उल्लेखित पुलिस थाने से, उसके सारणी के कालम-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का अपवर्जित करती है, और—

दो—उक्त सारणी के कालम-2 में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कालम-4 में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है—

क्र.	पुलिस थाने का नाम/तहसील तथा जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया.	सारणी		पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया.
		स्थानीय क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	थाना गुलगंज तह. बिजावर जिला छतरपुर	ग्राम-धुरावली	हल्का क्रमांक-11	नवीन पुलिस चौकी बंधा (चमरोई) थाना गुलगंज तहसील बिजावर जिला-छतरपुर.
2	—, —	ग्राम-बंधावर	हल्का क्रमांक-11	—, —
3	—, —	ग्राम-देवरान	हल्का क्रमांक-07	—, —
4	—, —	ग्राम-डोंगरपुरा	हल्का क्रमांक-11	—, —
5	थाना गुलगंज तह. बिजावर जिला छतरपुर.	ग्राम-गोरा	हल्का क्रमांक-15	नवीन पुलिस चौकी बंधा (चमरोई) थाना गुलगंज तहसील बिजावर जिला-छतरपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	-,,-	ग्राम-मोरी	हल्का क्रमांक-04	-,,-
7	थाना बडामलहरा तह. बडामलहरा जिला छतरपुर	ग्राम-करकी	हल्का क्रमांक-15	-,,-
8	-,,-	ग्राम-घिनोची	हल्का क्रमांक-16	-,,-
9	-,,-	ग्राम-बमनोरा खुर्द	हल्का क्रमांक-15	-,,-
10	-,,-	ग्राम-पिपरा	हल्का क्रमांक-06	-,,-
11	-,,-	ग्राम-चमरोई	हल्का क्रमांक-06	-,,-
12	-,,-	ग्राम-नयाखेरा	हल्का क्रमांक-16	-,,-
13	-,,-	ग्राम-कायन	हल्का क्रमांक-17	-,,-
14	थाना भगवा तह. बडामलहरा जिला छतरपुर	ग्राम-बमनी	हल्का क्रमांक-05	-,,-
15	-,,-	ग्राम-बंधियन	हल्का क्रमांक-04	-,,-

No. F-2, B-III-2.—In exercise of the power conferred by clause (se of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previiious notification specifying the local area comprised in respective police stations mentioned in table below, the State Government hereby. With effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

1. Excludes from the Police Station mentionedc in column (1) of the Table below, the local areas specified in column (2) there of and.
2. Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the Police Station mentioned in column (4) of the said table.

Name of Police Station. withe Tehsil and distt. excluded	Name of Villages	Settlement	Name of Police Station with Tehsil and Distt. in whice included.
(1)	(2)	(3)	(4)
P. S. Gulganj Thasil-Bijawar Distt. Chhattarpur	Village-Ghuravali	Halka No.-11	Neveen Police Chawki-Babndha (Chamroi) Thana-Gulganj Thasil-Bijawar Distt. Chhattarpur
-,,-	Village-Bandhawar	Halka No.-11	-,,-
-,,-	Village-Devran	Halka No.-07	-,,-
-,,-	Village-Dogarpura	Halka No.-11	-,,-
-,,-	Village-Gora	Halka No.-15	-,,-
-,,-	Village-Moraa	Halka No.-04	-,,-
-,,-	Village-Karki	Halka No.-15	-,,-
-,,-	Village-Ghinochi	Halka No.-16	-,,-
-,,-	Village-Bamnora Khurda	Halka No.-15	-,,-
-,,-	Village-Pipra	Halka No.-06	-,,-
-,,-	Village-chamroi	Halka No.-06	-,,-
-,,-	Village-Nayakhera	Halka No.-16	-,,-
-,,-	Village-Kayan	Halka No.-17	-,,-
-,,-	Village-Bamni	Halka No.-05	-,,-
-,,-	Village-Bandhiyan	Halka No.-04	-,,-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्र. 594-मंडी निर्वा.-2014-15.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा अधिनियम की धारा 11(1)(झ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम, 2010 के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	छिन्दवाड़ा	श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	11(1)(झ)
2	अमरवाड़ा	श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी, अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	11(1)(झ)
3	सौंसर	श्री भिमराव राऊत, संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	11(1)(झ)
4	पान्दुर्णा	श्री गंगाराम कडवे, उपाध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	11(1)(झ)
5	चौरई	श्री शैलेन्द्रसिंह पटेल, संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	11(1)(झ)

क्र. 595-मंडी निर्वा.-2014-15.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(च) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम, 2010 के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के, लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	छिन्दवाड़ा	श्री जे. के. यदुवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, छिन्दवाड़ा	11(1)(च)
2	अमरवाड़ा	श्री एन.पी.उट्टी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, अमरवाड़ा	11(1)(च)
3	सौंसर	श्री जे.के. राठी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, सौंसर	11(1)(च)
4	पान्दुर्णा	श्री जी. डी. बंजारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पान्दुर्णा	11(1)(च)
5.	चौरई	श्री सी.एम. अवस्थी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, चौरई	11(1)(च)

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, होशंगाबाद (मण्डी निर्वाचन)

होशंगाबाद, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्र. 182-50-13-मंडी नि.-समिति गठन-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर, होशंगाबाद मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
01	बानापुरा	श्री सरताज सिंह, विधायक, सिवनी मालवा	धारा-11(1)(घ)
02		श्री बलराम पटेल आ. हजारीलाल पटेल, प्रतिनिधि सिवनीमालवा विपणन एवं प्रक्रिया इकाई सहकारी संस्था मर्यादित, बानापुरा.	धारा-11(1)(ड)
03		श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि गब्बरसिंह पटेल, सदस्य जिला पंचायत होशंगाबाद	धारा-11(1)(ज)

संकेत भोंडवे, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 जुलाई 2015

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 77-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	उजनेही	0.058	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग (भ/स.), सतना, म. प्र.	ललचहा, मढ़ा, खमरेही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण के कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 78-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटमा उबारी	0.704	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग (भ/स.), सतना, म. प्र.	ललचहा, मढ़ा, खमरेही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण के कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. 2114-2015-प्र. क्र. 3-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मिण्डलाखेडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मिण्डलाखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

## अनुसूची (1)

ग्राम—मिण्डलाखेडा		तहसील—मल्हारगढ़		
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.06	—	1.06
कुल योग . .		1.06	—	1.06

## मिण्डलाखेडा तालाब योजना

ग्राम—मिण्डलाखेडा, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मंदसौर

## अनुसूची (2)

मिण्डलाखेडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चौहान	24	3.50	1.00	—	1.00
2	अनोसलाल पिता नरसिंहलाल कुल्मी	71/4	0.29	0.06	—	0.06
कुल योग . .			3.79	1.06	—	1.06

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. भू-अर्जन-50 (अ-82) 2014-15-999.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकर अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक



समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बघरैली रैयत, प.ह.नं. 175	9/1 9/2 10/1 10/2 12/1 13 15 18/1 18/2 23/2 23/3 24/1 25 26 34 38/1 38/2 38/3 40/1 40/3 40/4 40/5 41 42 44	1.57 0.30 0.52 0.250 0.12 0.39 0.16 0.12 0.07 0.65 0.65 0.01 0.64 0.43 0.30 0.15 0.29 0.25 0.07 0.08 0.09 0.03 0.10 0.85 1.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पिण्डरुन्खी डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत.
				योग . .	8.65	
		शासकीय भूमि 1,11/2, 14, 17, 20/2, 23/4, 23/5, 24/2, 27, 28, 35, 36, 37, 43			6.62	
				सकल योग . .	15.27	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-51 (अ-82) 2014-15-998.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकर अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पण्डरुखी माल, प.ह.नं. 175	190 191 192 193 194 195 196 197/1 494 495 499 500 502 503 504 506 541 542 544 546 549 550 587 588 614 616	0.16 0.05 0.08 0.200 0.10 0.51 0.37 0.15 0.49 0.58 0.70 0.62 0.12 0.35 0.47 0.14 0.30 1.15 1.44 0.26 0.80 0.40 1.49 0.55 0.25 0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पिण्डरुखी डायवर्सन स्कीम के अंतर्गत.
			योग . .	11.98		
		शासकीय भूमि 197/2, 496, 497, 498, 501, 505, 547, 548, 586, 613		6.030		
			सकल योग . .	18.010		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
राजगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2015		51/1	0.173
क्र. 4762-63-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस		76/1	0.013
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)		78/1	0.071
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन		79/1	0.069
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक		80/1	0.050
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह		51/3	0.432
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		76/3	0.019
आवश्यकता है:—		78/3	0.179
अनुसूची		79/3	0.174
(1) भूमि का वर्णन—		80/3	0.127
(क) जिला—राजगढ़		56/3	0.287
(ख) तहसील—राजगढ़		57/2	0.367
(ग) ग्राम—बांसखेड़ी, मांजरीखो, राजलीबे, कराडिया, नलखेड़ा, गोपालपुरा, लक्ष्मणपुरा, बानपुर, चौकी.		121	0.253
(घ) लगभग क्षेत्रफल—937.514 हेक्टेयर.		93	0.126
सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)	94	0.417
(1)	(2)	51/2	0.432
ग्राम—बांसखेड़ी		76/2	0.019
66/3	0.506	78/2	0.180
55	0.468	79/2	0.174
33	0.468	80/2	0.127
83/162	0.051	115/1/2क	0.270
31	0.304	56/2	0.287
34	0.304	57/1	0.367
53	0.531	32	0.405
54	0.974	35	1.050
59	1.746	योग . . . 16.323	
60	0.620	ग्राम—मांजरीखो	
62	0.354	53/1/2	0.068
63	0.455	11/2	0.749
64	0.620	11/1	1.298
30	0.089	53/1/1	0.068
61/2	0.400	53/2	0.408
52	2.213	46/1	0.145
88	0.152	41	0.177
		44	0.057
		45	0.089
		51	0.329
		19	0.531
		57	0.519

(1)	(2)	(1)	(2)
60	0.152	222/1	0.409
61	0.126	124/2	0.014
62	0.519	134/4	0.205
18	1.568	139/4	0.070
43	0.822	147/2	0.070
31/91	0.214	132/4	0.032
15	0.759	247	0.417
16	0.873	267/2/9	1.203
10	0.673	246	1.264
7/3/1/2	0.506	264/1/5/2	0.149
47/1/2	0.010	267/2/1	1.502
54/1/2	0.430	124/1	0.015
56/2	0.006	134/3	0.204
38	0.190	148/2	0.089
39	0.682	237/1	0.392
40	0.164	139/3	0.069
50	0.101	267/2/3	1.567
59/1/2	1.695	72/2	0.759
7/3/2	0.253	136	0.126
47/2	0.005	264/1/5/1	0.148
54/2	0.582	267/2/5	1.737
58	0.126	231	0.164
49	0.354	122/1	0.013
52	0.089	134/1	0.204
46/2	0.145	139/1	0.069
7/3/1/1	0.506	148/1	0.088
47/1/1	0.010	243/2	0.624
54/1/1	0.429	255	0.658
56/1	0.070	267/2/4	2.000
योग . .	<u>16.497</u>	267/2/7	2.000
		267/2/8	2.000
		263/1/1	1.012
ग्राम—राजलीबे			
267/2/2	0.891	141	0.417
68/4	1.000	142	0.405
74/1	0.322	124/4	0.017
244/1	0.594	134/6	0.205
131/1	0.146	139/5	0.070
122/2	0.012	150	0.126
134/2	0.204	237/3	0.196
139/2	0.069	222/5	0.410
147/1	0.069	139/6	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
124/3	0.018	241/2	0.364
134/5	0.205	250/1/2	2.000
149	0.152	264/1/3	2.000
237/2	0.196	66/2	0.506
222/4	0.410	67/2	0.253
264/2	0.379	69/2	0.709
267/4	0.127	127/2	0.417
243/1	0.624	232/2	0.568
46	0.101	253/2	0.424
82	0.354	79	0.481
119	0.051	81	0.101
121	0.013	154	0.240
73	0.038	250/2	1.846
74/2	0.285	263/1/2	1.000
131/2	0.145	264/1/1	2.000
244/2	0.594	264/1/4	2.000
62/2	0.648	250/1/4	2.000
113/3	0.120	250/1/3	2.000
132/2	0.031	250/1/5	2.000
137/1	0.025	49	0.835
145/1	0.136	50	0.961
230/3	0.291	77	1.113
241/3	0.364	152	0.063
145/2	0.136	155	0.025
62/3	0.648	156	0.177
113/4	0.121	233	1.240
132/3	0.032	245	1.466
137/2	0.026	266	0.797
145/3	0.136	151	0.013
230/4	0.291	75	0.544
241/4	0.363	76	1.175
62/4	0.648	144	0.266
113/5	0.120	242	1.770
137/3	0.025	254	0.961
145/4	0.136	267/3	1.327
230/5	0.291	113/1	0.506
241/5	0.364	230/1	1.163
62/1	0.648	241/1	0.657
113/2	0.120	133	0.329
132/1	0.031	43	0.987
230/2	0.291	44	0.721

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.379	174	0.089
115	0.126	64	0.177
118	0.063	77/3	0.070
143	0.948	117/2	0.038
235	0.278	266/14/1	0.506
249/1	0.594	38/4/2	0.111
251	1.480	38/4/3	0.111
146	0.038	40/8	0.019
130	0.164	65/2/6	0.017
164	0.367	79/8	0.021
256/2	0.723	80/3	0.140
165	0.329	176	0.063
248	0.519	177	0.057
47/1	0.189	180	0.063
48/1	0.241	183/1	0.076
125/2	0.026	27/5/3	0.253
66/1	0.506	128/3	0.004
67/1	0.253	130/3	0.004
69/1	0.708	141/3	0.015
127/1	0.417	189/3	0.015
232/1	0.568	141/2	0.061
253/1	0.424	12	0.051
153	0.342	14/1	0.316
48/2	0.240	89	0.101
125/1	0.025	185	0.190
135	0.076	110	0.051
236/1	1.050	134	0.101
236/2	0.379	147	0.114
249/2	0.594	243/1	0.027
222/3	0.410	14/2	0.316
264/1	1.600	5/8	4.047
267/2/10	2.000	152/3	0.012
223	1.600	266/10/1/2	0.354
47/2	0.190	38/4/1	0.221
योग	<u>90.081</u>	130/1/1	0.005
ग्राम—कराड़िया		130/1/2	0.009
149	0.013	130/1/3	0.005
39	0.051	130/2	0.015
81	0.051	266/10/1/1	0.354
172	0.038	82/1/1	0.253
		109/1	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
137/1	0.017	68/3/1	0.092
148/1	0.072	72/3	0.032
109/2	0.051	128/1/4	0.005
137/2	0.017	266/11/6	0.338
266/9/1/2	0.380	266/18/4	0.244
40/4	0.011	79/6	0.021
79/4	0.013	5/6/5	0.080
80/7	0.169	40/6	0.019
166/2/2	0.008	80/4	0.140
164/5	0.020	65/2/7	0.017
77/1	0.278	68/1/1	0.115
131	0.051	72/2	0.031
133	0.114	128/1/3	0.005
140	0.164	266/11/5	0.338
242/1	0.655	266/18/3	0.244
77/4	0.069	68/1/4	0.116
117/3	0.038	72/1	0.031
266/14/3	0.506	101/1/4	0.113
77/2	0.070	128/1/1	0.004
117/1	0.038	266/11/7	0.338
266/14/2	0.506	266/18/5	0.244
60/6	0.051	68/2/4	0.093
68/1/2	0.115	266/6	1.037
68/2/2	0.093	40/3	0.011
72/4	0.032	65/2/4	0.010
128/1/2	0.005	79/3	0.013
266/11/4	0.126	164/4	0.020
266/18/2	0.245	166/2/5	0.008
141/1	0.076	266/13/2	0.606
248	0.734	166/2/5	0.008
98/1	0.057	24	1.151
151/1	0.088	82/3	0.317
28/278	0.578	109/3	0.051
60/5	0.100	137/3	0.017
63/2	0.759	148/3	0.072
151/3	0.077	76	0.038
158/3	0.017	111	0.114
135	0.144	115	0.164
80/1	0.827	167	0.417
68/1/3	0.115	173	0.013
68/2/1	0.092	65/4	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
266/15	1.518	266/8	1.543
38/2	0.759	266/9/1	0.379
46/1	0.531	86/1/3	0.032
46/2	1.265	100/2	0.526
41/1	1.012	100/3/1	0.102
42/1	0.213	152/1/1	0.063
40/1	0.120	266/10/1/3	0.253
79/1	0.012	266/1/3/1	0.879
80/5	0.169	266/7	1.543
166/2/3	0.007	60/4	0.506
79/7	0.021	158/2	0.017
164/2	0.020	27/10	1.518
74/1	0.335	29	0.810
75/1	0.069	37/6	0.900
136	0.076	65/5	0.885
142/2	0.089	27/8	2.000
78	1.480	69/4	0.099
215	1.240	73/1	0.182
268/280	1.644	97/2	0.013
40/5	0.011	113/3	0.020
79/5	0.013	118/3	0.015
80/8	0.081	119/3	0.046
164/6	0.020	120/4	0.026
266/13/3	0.304	125/4	0.011
38/5/1	1.033	129/3	0.016
98/2	0.057	138/2	0.046
151/2	0.088	143/1	0.010
27/9	1.000	155/3	0.005
66	0.620	161/4	0.010
266/12/1	0.632	169/5	0.005
37/2	0.592	170/1	0.008
41/2	0.063	181/1	0.035
42/2	0.101	246/5	0.500
38/5/2/1	0.278	249/3	0.226
65/3/2	0.411	265/3	0.492
75/2	0.035	26/281/1	0.203
157/2	0.019	95/3	0.020
266/16/1	0.633	116/4	0.045
74/2	0.167	160/5	0.041
142/1	0.044	266/277/3	1.259
38/5/3	0.743	58/276/3	0.203



(1)	(2)	(1)	(2)
123/3	0.078	119/1	0.045
150/3	0.013	120/3	0.025
251/3	0.040	125/2	0.010
171/2	0.007	143/4	0.010
40/2	0.012	161/3	0.010
79/2	0.012	155/2	0.005
80/6	0.081	169/1	0.005
164/3	0.021	170/4	0.007
166/2/4	0.007	181/4	0.036
266/13/1	0.608	246/1	0.504
38/3	1.013	265/1	0.494
166/2/4	0.007	58/276/4	0.169
65/3/1	0.411	26/281/3	0.202
74/3	0.168	116/5	0.047
75/3	0.035	123/4	0.080
144	0.177	150/1	0.012
142/3	0.044	160/2	0.045
157/1	0.019	236/1	0.051
266/16/2	0.632	175	0.164
6	1.202	178	0.013
7	0.101	179	0.013
8	1.467	233	0.013
128/2	0.015	95/5	0.021
152/1/2	0.051	97/4	0.012
189/2	0.076	99/3	0.043
189/1/1	0.019	119/2	0.045
256/2/2	0.084	138/5	0.045
256/2/4	0.103	266/277/4	1.259
266/10/1/4	0.253	268/279	0.008
189/1/2	0.057	49	0.300
266/3/2	0.880	146	0.164
9	0.759	159	0.051
28/1/1	0.035	162	0.089
30/2/1	0.113	211	0.076
31/1/2	0.324	212	0.683
27/5/2/1	0.368	219	0.595
27/6/1	0.633	260	0.734
187	0.670	50/274	0.582
73/5	0.182	52/275	0.304
97/1	0.012	221	0.746
118/1	0.015	266/18/1	0.541

(1)	(2)	(1)	(2)
69/5	0.099	120/5	0.025
73/3	0.182	123/2	0.078
95/4	0.020	125/5	0.010
116/1	0.046	129/2	0.015
118/4	0.016	138/3	0.046
119/4	0.046	143/5	0.010
120/1	0.025	150/4	0.013
125/3	0.010	155/5	0.005
129/1	0.015	160/4	0.041
138/1	0.046	161/1	0.010
143/2	0.010	169/3	0.005
150/2	0.012	170/5	0.007
155/4	0.005	171/3	0.008
160/1	0.045	181/5	0.035
169/4	0.005	246/3	0.506
170/2	0.008	249/1	0.675
171/1	0.007	58/276/1	0.172
181/2	0.035	266/277/5	1.260
241/2	0.269	123/1	0.078
249/2	0.225	26/181/5	0.203
255/4	0.157	158/1	0.017
263/3	0.351	266/11/2	0.126
26/281/4	0.202	266/11/3	0.126
266/277/2	1.260	10	0.190
256/2/1	0.506	20/1/2	0.198
266/10/2	0.304	60/10	0.253
266/17	1.518	148/2	0.072
20/1/4	0.506	266/9/2	0.759
20/2	0.470	82/2	0.316
243/2	0.821	21/2	0.500
21/1/2	0.277	213	0.506
188/2	0.265	70	0.506
77/5	0.070	231	0.025
117/4	0.038	21/3	0.916
266/14/4	0.506	28/2	0.500
69/1	0.098	30/1	0.102
73/2	0.183	31/2	0.092
95/2	0.020	266/5	1.037
97/3	0.013	26/281/2	0.203
107	0.215	58/276/5	0.169
108	0.139	73/4	0.182
116/3	0.045	97/5	0.012
118/5	0.015	116/2	0.045
119/5	0.046	118/2	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
120/2	0.025	52/1	0.500
125/1	0.010	82/1/2	0.063
129/4	0.015	योग . .	<u>106.440</u>
138/4	0.045		
150/5	0.013		
160/3	0.043		
161/2	0.011	19/4	2.529
169/2	0.005	130	0.063
171/4	0.008	131	0.025
245/3	0.121	132	0.051
246/2	0.503	133	1.151
258/5	0.144	134	0.620
265/2	0.494	135	0.519
95/1	0.020	137	1.733
228/3	0.004	170	0.013
266/277/1	1.260	171	0.013
170/3	0.008	104	0.025
25	0.810	154/5	0.759
27/2/1	0.380	172	0.063
27/5/2/2	0.367	174	0.417
27/6/2	0.632	173	0.658
28/1/2	0.034	90	0.038
30/2/2	0.114	145/3/2	0.285
30/1/1	0.360	149/2	0.604
27/2/2	0.379	154/2/2	0.418
27/5/2/1	0.367	19/6/5	0.253
27/6/1	0.632	138/3/3	0.524
28/1/1	0.034	165/2	0.127
30/2/1	0.114	55/2	0.185
153	0.013	61/2	0.038
5/7	0.759	80	0.089
21/1/3	0.506	128/2/2	0.047
21/1/1	0.735	138/4/2	1.008
38/5/2	0.493	139/2	0.080
58/276/2	0.169	140/2	0.245
246/4	0.503	149/4/2	0.126
65/2/8	0.017	154/7/2	0.084
80/2	0.139	154/8/3	0.206
68/2/3	0.093	155/1/2	0.143
127	0.164	155/3/2	0.063
266/11/1	0.126	155/2/2	0.063
164/1	0.101	97/6	0.019
166/2/1	0.038	100/2	0.059
266/12/2	0.633	124/6	0.025
52/2	0.051	126/1	0.008

ग्राम—नलखेड़ा

(1)	(2)	(1)	(2)
146/5	0.027	138/3/1	2.095
149/3/6	0.055	175/6/2	0.147
150/1	0.046	19/6/3	0.253
152/1	0.015	138/3/4	1.031
154/3/8	0.100	22/1/2/2	1.564
53	0.278	175/6/3	0.147
116	0.607	138/2/2	0.139
97/7	0.020	145/3/1	0.095
103/5	0.025	149/2/1	0.604
124/7	0.025	154/2/1	0.139
127/2/1	0.022	47/3	0.064
74	0.152	58/2	0.017
150/7	0.045	118/3	0.034
153/2	0.011	119/1	0.021
154/3/7	0.126	143/1	0.304
129/14/1/1	3.047	144/1	0.109
129/14/2	1.000	158/3	0.177
97/5	0.078	159/3	0.227
100/5	0.058	177/3	0.362
103/1	0.050	178/3	0.118
124/5	0.101	37/1	0.143
125/4	0.022	38/3	0.051
126/5	0.007	40/1	0.021
127/5	0.043	41/1	0.105
154/2/2	0.418	42/3	0.021
22/6/2	1.011	43/1	0.130
97/4	0.078	194/1	0.173
100/3	0.058	43/197/3	0.038
103/2	0.050	47/198/3	0.026
124/4	0.101	38/200/3	0.059
125/5	0.023	48/1	0.080
126/4	0.007	138/2/1	0.418
127/4	0.043	149/2/2	1.811
149/3/4	0.220	145/4/1	0.506
150/3	0.183	111	0.063
151/2	0.025	114	0.278
152/4	0.015	85	0.051
153/4	0.010	86	0.013
154/3/4	0.466	87	0.025
129/12	0.303	113	0.291
22/1/5	2.000	154/4	0.632
129/16/2	0.253	149/5	2.529
175/3	0.531	129/6	0.885
19/6/2	0.253	138/5/1	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
154/1/2	1.814	140/1	0.245
37/2	0.143	141	0.101
43/2	0.131	149/4/1	0.127
144/2	0.110	154/6/1	0.105
158/2	0.177	154/7/1	0.085
159/1	0.228	154/8/1	0.206
176/2	0.510	155/1/1	0.144
177/2	0.363	155/2/1	0.064
38/1	0.051	55/1	0.185
40/2	0.021	128/1	0.645
41/3	0.105	156/2	0.076
42/1	0.021	166	0.531
47/1	0.063	168	0.038
48/3	0.080	164	0.025
58/3	0.017	55/3	0.185
118/1	0.033	83	0.025
119/3	0.021	128/2/3	0.046
178/2	0.118	138/4/3	1.008
43/197/2	0.038	139/3	0.080
47/198/2	0.025	140/3	0.244
38/200/2	0.059	154/6/3	0.105
47/198/1	0.025	154/7/3	0.084
48/2	0.080	154/8/2	0.206
58/1	0.017	155/2/3	0.063
118/2	0.034	155/1/3	0.143
49	0.013	138/5/2	0.759
50	0.025	76/1	0.038
105	0.013	138/3/5	0.632
159/199	0.342	165/1	0.063
22/4	0.051	165/196	0.063
78	0.190	175/6/1	0.148
78/1	0.157	76/2	0.038
145/2/1	0.022	138/3/2	0.524
145/2/5	0.022	145/2/3	0.015
145/2/2	0.044	97/8	0.021
145/2/6	0.022	103/6	0.026
145/2/5	0.015	124/8	0.026
145/2/4	0.015	127/2/2	0.021
61/1	0.025	141/3/7	0.055
63	0.025	150/8	0.045
64	0.038	154/3/6	0.133
128/2/1	0.046	97/1	0.019
138/4/1	1.007	98	0.025
139/1	0.080	124/1	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
125/2	0.023	59/2	0.013
149/3/1	0.056	66/1/2	0.493
150/6	0.046	69	0.051
151/5	0.025	71	0.038
154/3/1	0.107	75/2	0.208
211/1/1	0.234	77/1	0.095
145/1/2	0.980	96/2	0.038
24/1/1	0.234	108	0.038
25/1	0.208	110/2	0.044
26/1	0.026	112/2	0.095
29/1	0.101	186	0.215
34/2	0.238	129/18/3	0.506
35/3	0.039	24/1/2	0.234
45/3	0.069	24/1/2	0.234
46/3	0.035	25/1/2	0.209
54/1	0.185	69	0.051
56/1	0.032	129/2/2	0.322
59/1	0.025	145/1/1	0.490
66/1/1	0.494	187	0.443
67	0.164	129/7/1	3.484
68	0.076	129/1/2	1.500
70	0.025	145/2/7	0.022
75/1	0.209	99	0.025
77/2	0.095	127/1	0.043
96/1	0.038	97/2	0.079
101	0.038	103/4	0.051
110/1	0.045	124/2	0.101
112/1	0.095	125/1	0.023
188/2	0.373	126/2	0.008
190	0.177	127/3	0.043
59/3	0.013	149/3/2	0.220
24/1/1	0.234	150/2	0.182
129/7/2	3.484	151/4	0.025
129/1	10.112	152/2	0.016
175/4	4.047	153/1	0.010
129/2/1	8.612	154/3/2	0.466
25/2	0.209	129/17	1.012
26/2	0.025	22/6/1	1.000
29/2	0.101	145/4/2	0.506
34/3	0.238	97/3	0.078
35/2	0.039	100/4	0.058
45/2	0.070	103/3	0.051
46/2	0.035	124/3	0.114
54/2	0.105	125/3	0.023
56/2	0.032		



(1)	(2)	(1)	(2)
160/1/2	0.304	35/2/3	0.025
160/1/3	0.169	36/1/3	0.005
161/1	0.065	37/1/3	0.066
161/3	0.131	94/2/3	0.005
47/1	0.114	28/178/2/3	0.079
48/1	0.108	28/179/2/3	0.084
49/2	0.013	15/1/3	0.008
52/2	0.019	17/1/3	0.041
53/3	0.025	18/2/3	0.086
54/3	0.025	19/2/3	0.025
55/2	0.063	28/6/1/3	0.139
56/1	0.057	28/8/2/3	0.506
158/1/1	0.159	173/13/1/2	1.012
160/1/1	0.509	135/1	0.177
161/2	0.196	136/2	1.321
174/2/12	1.000	32/2	0.126
60/3/1	0.108	3/1/1	1.575
73/1/4	0.010	14/2/4	0.028
139/2/1	0.383	15/1/4	0.008
28/19/1	1.747	17/1/4	0.041
126/1	0.284	18/2/4	0.086
6/1	0.348	19/2/4	0.025
30/2	0.141	28/6/1/4	0.139
93/1	0.360	28/8/2/4	0.506
96/1	0.032	35/2/4	0.025
111/6/1	0.380	36/1/4	0.005
112/1	0.082	37/1/4	0.066
132/1	0.670	94/2/4	0.005
138/1	0.379	28/178/2/4	0.080
140/1	0.797	28/179/2/4	0.083
173/2/1	1.012	6/4/1	0.035
110/1	0.341	93/2/1	0.036
173/9/2	1.770	110/4/1	0.034
135/2/2	0.608	111/6/4/1	0.038
136/1/2	0.228	112/4/1	0.008
173/19/3/2	0.626	132/3/1	0.294
31/2	0.139	16/3/1	0.060
31/1	0.139	173/15/2/1	0.928
27/1/1	0.171	10/1/2/1	0.009
113/2/2	0.111	41/1	0.013
121/1/2/2	0.183	6/4/2	0.034
173/19/3/1	0.374	10/1/2/2	0.009
35/2/1	0.607	93/2/2	0.036
14/2/3	0.028	110/4/2	0.034



(1)	(2)	(1)	(2)
111/6/4/2	0.038	173/15/3	1.182
112/4/2	0.008	173/2/4	1.289
132/3/2	0.294	10/1/1	0.017
16/3/2	0.059	28/17	2.023
173/15/2/2	0.929	174/2/29	1.000
40/1	0.019	123/2	0.493
174/2/6	0.759	109/1	0.196
30/1	0.126	109/2/1	0.098
165/2	0.336	109/2/2	0.098
166	0.266	14/2/1	0.028
167/1	0.109	15/1/1	0.007
171/1	0.646	17/1/1	0.040
62/1/1	0.017	18/2/1	0.086
73/1/1	0.016	19/2/1	0.026
155/2	0.082	28/6/1/1	0.139
156/2/2	0.383	28/8/2/1	0.506
173/9/1/1	0.708	36/1/1	0.005
174/2/26	1.000	37/1/1	0.066
154/2/1	0.013	94/2/1	0.005
162/1	0.335	28/178/2/1	0.079
162/2/2	0.167	173/19/2	1.000
171/2	0.632	35/2/1	0.025
28/179/2/2	0.084	33/1	0.228
158/1/3	0.316	85	0.506
158/2	0.316	142	0.468
160/2	1.018	143	0.228
28/11	1.518	138/3	0.173
87	0.481	140/3	0.139
88	0.240	173/15/4	0.081
62/1/4	0.005	127/1/2	0.126
63/1	0.013	6/5	0.070
73/1/5	0.017	16/4	0.119
154/2/2	0.013	26/2	0.228
155/1	0.082	93/4	0.072
173/9/1/3	0.354	95/3	0.006
113/1/1	0.108	110/6	0.068
173/1/2	1.000	111/6/5	0.076
6/2	0.070	112/5	0.017
93/3	0.073	27/2	0.228
95/1	0.006	173/2/2	2.896
110/2	0.068	10/1/6	0.025
111/6/2	0.076	60/3/2	0.108
112/2	0.016	62/1/2	0.017
140/2	0.139	73/1/2	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
134/1	0.954	28/14/2	1.265
139/2/2	0.383	152/1	0.215
6/6	0.070	153/2	0.600
10/1/4	0.018	156/2/1	0.383
16/5	0.119	174/2/16	0.824
93/5	0.072	111/4/2	0.051
95/2	0.006	76/1	0.026
110/3	0.068	174/2/11	0.784
111/6/6	0.076	28/4	0.506
112/6	0.017	62/1/3	0.036
138/4	0.173	73/1/3	0.023
140/4	0.139	92/1	0.139
173/2/3	2.391	173/9/1/2	0.709
173/15/5	0.081	39/1	0.099
5/1/3	0.033	51/2	0.022
40/4	0.019	75/2/3	0.032
41/1/3	0.012	163/2	0.424
46/1/2	0.031	170/2/1	0.304
51/3/4	0.012	162/2/1	0.168
173/7/1/3	0.484	164/1/3	0.098
174/2/19	1.000	172/1	0.168
10/2/2	0.032	173/8/3	0.165
11/2	0.114	173/10/1	0.017
12/1	0.050	174/2/13/1	0.687
13/1	0.095	28/5	1.075
28/7/2	0.221	28/18	2.023
78/1	0.038	25	0.228
149/2	0.500	26	0.329
173/11/1	0.026	28/12	0.519
174/4/1	0.291	38	0.063
149/181/2	0.607	150	0.164
173/12/2	1.327	157	1.278
62/2	0.039	84	0.126
113/2/1	0.110	28/13/3	0.506
123/1	0.494	28/3/1	0.449
134/2/2	0.253	23/277/2	0.158
139/1/2	0.382	23/180/2	0.127
92/2	0.139	174/2/23	1.000
173/1/1	1.000	147/1	0.084
60/1/3	0.072	151/1	1.279
173/1/4/2	0.253	173/16/1	1.000
86	0.455	173/16/2	1.000
9/2	0.190	10/2/1	0.031
23	0.139	11/1	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
12/2	0.051	3/2/2	0.455
13/2	0.095	63/2/2	0.041
28/7/1	0.222	126/2	0.285
78/2	0.038	111/7/1	0.443
149/1	0.500	173/1/4/3	0.162
173/11/2	0.025	173/1/3	1.000
173/12/1	1.328	73/2/2	0.041
174/4/2	1.290	60/1/2	0.071
149/181/1	0.607	73/2/1	0.041
147/2	1.358	134/2/1/2	0.196
32/1	0.127	139/1/1	0.383
174/2/25	1.000	173/1/4/1	0.632
3/2/1	1.575	63/2/1	0.009
28/10	2.529	6/3	0.069
79	0.012	16/2	0.119
80	0.038	93/6	0.072
81	0.392	110/5	0.069
82	0.266	111/6/3	0.075
83	0.126	112/3	0.016
90	0.076	95/4	0.007
129	0.253	132/2	0.588
173/17/1	1.047	173/15/1	1.858
51/1	0.022	10/1/3	0.018
75/2/4	0.032	5/1/2	0.033
163/1	0.325	40/5	0.016
164/1/2	0.099	41/4	0.013
170/2/2	0.304	51/3/2	0.011
173/10/2	0.362	173/7/1/2	0.484
167/2	0.270	174/2/30	0.500
174/2/14/1	0.687	174/2/15	1.000
172/2	0.338	9/3/1	0.032
50	0.076	28/14/1/1	0.632
98	0.025	152/2/1	0.107
128	0.708	153/1/1	0.269
151/2	1.389	76/2/1	0.012
173/17/3	2.000	37/502	0.031
22	0.202	28/14/1/2	0.632
28/9	2.529	111/4/1/2	0.025
69	0.051	152/2/2	0.108
71	0.202	153/1/2	0.269
70	0.266	76/2/2	0.013
72	0.215	9/3/2	0.031
173/14/1	0.506	60/2	0.030
3/1/2	0.455	60/4	0.109
		61	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
33/2	0.025	173/13/2	1.012
46/2/1	0.253	27/1/2	0.126
97	0.063	47/2	0.076
23/182/2	0.127	48/2	0.072
42	0.038	55/1	0.042
46/2/2	0.027	53/2	0.018
64	0.037	52/1	0.019
65	0.038	49/1	0.006
47/3	0.038	54/1	0.018
48/3	0.035	56/2	0.038
49/3	0.006	20	0.013
52/3	0.006	21	0.038
53/1	0.008	24	0.063
54/2	0.008	111/1/2	0.570
55/3	0.021	111/8	0.481
56/3	0.019	28/19/2	1.300
27/1/3	0.056	28/11/2	1.300
89	0.051	14/2/2	0.028
34	0.291	15/1/2	0.008
173/7/3	0.399	17/1/2	0.040
57	0.417	18/2/2	0.086
111/7/2	0.443	19/2/2	0.025
60/1/1	0.071	28/6/1/2	0.140
134/2/1/1	0.506	28/8/2/2	0.506
168	0.126	28/178/2/2	0.079
169	0.190	35/2/2	0.026
170/1	0.277	36/1/2	0.005
164/2	0.632	37/1/2	0.066
5/5/1	0.033	94/2/2	0.005
40/2	0.019	14/1	0.028
41/2	0.013	15/2	0.007
46/1/4	0.031	18/1	0.086
51/3/1	0.011	19/1	0.025
173/7/1/1	0.484	28/6/2	0.139
41/3	0.012	28/9/1	0.505
5/1/4	0.033	28/178/1	0.079
40/3	0.019	28/179/1	0.083
46/1/3	0.032	35/1	0.025
51/3/3	0.011	37/2	0.065
173/7/1/4	0.484	94/1	0.005
173/14/2	0.253	17/2	0.040
173/17/2	1.000	28/8/1	0.505
66	0.051	28/179/2/1	0.083
154/1	0.189	36/2	0.005
156/1	0.765	173/13/1/3	2.023

(1)	(2)	(1)	(2)
91	1.126	225/3/5	0.063
111/5	0.190	267/2/5	0.168
173/13/1/1	0.759	155/3/2/3	0.025
23/177/1	0.158	219/2/2/3	0.025
23/180/1	0.126	220/1/3	0.048
28/1	0.759	223/2/3	0.074
28/3/2	0.449	225/4/1/3	0.091
28/13/1	1.265	229/3/3	0.026
67/2	0.026	244/1/3	0.009
23/177/2	0.158	167	0.013
28/13/2	3.523	197	0.101
67/1	0.025	199	0.240
39/2	0.496	217/2/1	0.316
173/8/1	0.362	219/4	0.253
75/2/1	0.031	76	0.304
16/1	0.119	106	0.190
138/2	0.173	127	0.013
10/1/5	0.018	181	0.114
8	1.126	185	0.114
127	0.961	188	0.240
148	1.151	151/286	1.036
15/1/3	0.008	157/287	0.392
17/1/3	0.041	187	0.025
18/2/3	0.086	263/1	0.273
19/2/3	0.025	237	0.759
28/6/1/3	0.139	107/1	0.021
28/8/2/3	0.506	114/1	0.004
173/17/4	4.047	119/1	0.051
165/1	0.853	131/1	0.003
96/2	0.006	231/1	0.135
113/1/2	0.114	224/4/1	0.063
149/3	0.012	225/3/1	0.022
46/1/1	0.031	267/2/1	0.057
योग . . .	159.463	217/2/2/1	0.035
		136/1	0.143
ग्राम-लक्ष्मणपुरा		177/3	0.050
98/5	0.012	186/2	0.013
107/5	0.063	263/3	0.375
114/5	0.012	265/2/1	0.152
119/5	0.151	272/2/2	0.126
131/5	0.008	273/2	0.211
217/2/2/5	0.105		
224/4/5	0.190		

(1)	(2)	(1)	(2)
274/2/2	0.100	114/2	0.005
265/2/2	0.141	131/2	0.003
126	0.013	217/2/2/2	0.035
165	0.013	224/4/2	0.063
166	0.316	225/3/2	0.021
182	0.139	231/2	0.135
183	0.278	267/2/2	0.057
205	0.531	98/3	0.002
224/3	0.215	107/3	0.022
81	0.076	114/3	0.005
99	0.025	119/3	0.051
102	0.051	131/3	0.003
103	0.076	217/2/3	0.036
109	0.101	224/4/3	0.063
113	0.051	225/3/3	0.021
141	0.506	231/3	0.136
176	0.164	267/2/3	0.056
207	0.998	98/4	0.012
232	0.678	107/4	0.063
72/2	0.095	114/4	0.012
79/2	0.177	119/4	0.151
97/2	0.013	131/4	0.008
104/2	0.044	217/2/2/4	0.105
105/2	0.095	224/4/4	0.190
110/2	0.038	231/4	0.404
111/2	0.006	267/2/4	0.168
208/2	0.146	115	0.063
227/2	0.164	116	0.025
236/2	0.227	202/1	0.044
42	0.202	214/2/2	0.088
206/1	0.126	216/4	0.200
96	0.013	224/6/3	0.127
100	0.038	226/4	0.287
108	0.139	269/1	0.136
112	0.063	268/1	0.117
130	0.013	228	0.215
206/1/2	0.057	206/2	0.303
70	0.455	278/2	1.265
98/2	0.005	219/2/2/4	0.025
107/2	0.021	220/1/4	0.048
119/2	0.051	223/2/4	0.074

(1)	(2)	(1)	(2)
225/4/1/4	0.091	77	0.202
229/3/4	0.027	78	0.051
244/3/1/4	0.018	206/1/2/2	0.126
169	0.025	136/2	0.143
170	0.025	186/1	0.076
171	0.013	273/3	0.211
196	0.582	202/3	0.044
120/1	0.012	214/2/1	0.177
122/2	0.045	216/1	0.199
124/2	0.045	224/6/1	0.126
230/2	0.203	269/4	0.136
261/3/2	0.082	268/4	0.117
88/289/2	0.208	88/289/3	0.040
88/290/2	0.025	88/290/4	0.025
220/2	0.240	221/2	0.221
229/1	0.133	229/2	0.132
219/3/2	0.126	219/2/1	0.127
223/2	0.367	223/1	0.367
224/2/1	0.076	224/2/2	0.075
244/3/1	0.092	225/4/2	0.380
72/1	0.095	244/3/2	0.408
79/1	0.177	177/1	0.050
104/1	0.045	272/2/3	0.126
97/1	0.012	273/3	0.211
105/1	0.095	274/2/3	0.100
110/1	0.038	202/2	0.045
111/1	0.007	214/2/3	0.089
208/1	0.145	216/3	0.199
227/1	0.165	224/6/4	0.126
236/1	0.228	226/3	0.288
118	0.025	268/3	0.117
177/2	0.050	269/3	0.136
192/2	0.076	216/2	0.199
272/2/1	0.127	224/6/2	0.127
273/1	0.210	226/1	0.288
274/2/1	0.100	268/2	0.117
121	0.229	269/2	0.135
168	0.051	135	0.013
198	0.304	193	0.202
71	0.051	210	0.771
75	0.481	270	0.379

(1)	(2)	(1)	(2)
271	0.354	129	0.013
122/1/2	0.029	139/2	1.265
124/1/2	0.022	174	0.038
194/2/2	0.063	175	0.367
230/1/2	0.101	177/4	0.014
261/3/1	0.082	265/2/3	0.151
120/2	0.013	178	0.349
122/1/1	0.015	123	0.392
124/1/1	0.022	284	0.038
245/2/1	0.221	266	0.392
194/2/1	0.069	88/289/4	0.025
88/289/1	0.030	योग . . .	<u>38.978</u>
88/290/1	0.025		
88/290/5	0.039	ग्राम-बानपुर	
221/1	0.222	45/370/2	0.020
229/4	0.133	9	0.288
88/290/3/1	0.012	161	0.164
219/2/2/5	0.025	309	0.152
220/1/5	0.036	178/1	0.171
223/2/5	0.073	66	0.101
225/4/1/5	0.091	171	0.215
229/3/5	0.027	180	0.215
244/3/1/5	0.019	182	0.025
88/290/3/2	0.013	114/355	0.291
219/2/2/2	0.025	289/1	0.822
220/1/2	0.049	308/3/1	0.500
223/2/2	0.073	303/1/6	2.000
225/4/1/2	0.091	211	0.177
229/3/2	0.026	201	0.367
244/3/1/2	0.019	17/352	0.101
224/7	0.379	337/365	0.784
261/2	0.405	157	0.240
264/2	0.759	156	0.354
277/2	0.126	162	0.202
277/3	0.253	163	0.190
134	0.013	167/1	0.411
191	0.228	237/3	1.088
203	0.063	163/1	0.291
209	0.493	308/4	0.500
64/265	0.518	176/1	0.095
125	0.013	184/1	0.019



(1)	(2)	(1)	(2)
193	0.063	291/369/2	1.000
195/1	0.038	3/2	0.109
221/1	0.208	5/2	0.246
241/1	1.012	7/2	0.076
251/1	0.342	71	0.366
336/1/1	0.368	158	0.266
338/1	0.503	203/2	0.102
190/353/1	0.063	239/2	0.481
337/9	0.657	236/2	1.915
191	0.089	177	0.152
192	0.378	194	0.152
196	0.493	175/3	0.088
197	0.051	212/3	0.030
198	0.038	319/2	0.026
305	1.316	337/7/2	0.190
160/361	0.013	337/3/2	0.253
3/3/1	0.055	3/3/2	0.054
5/1/1	0.124	5/1/2	0.123
7/1/1	0.038	7/1/2	0.038
8/1	0.070	8/2	0.069
70/1	0.038	70/2	0.038
190/1	0.045	190/2	0.044
203/1/1	0.051	203/1/2	0.050
216/3/1	0.127	216/3/2	0.126
218/1	0.253	236/1/2	1.294
236/1/1	1.295	272/1/2	0.156
239/1/1	0.240	318/2/2	0.318
272/1/1	0.156	339/3/2	0.213
318/2/1	1.011	235/2/2	1.000
339/3/1	0.213	218/2	0.316
204	0.051	318/2/3	1.386
205	0.063	206	0.152
208	0.038	260	0.354
210	0.051	209	0.063
248	0.658	340/1/2	0.500
256	0.215	340/1/4	0.500
257	0.316	6	0.304
258	0.201	10	0.063
267	0.076	11	0.114
208/371	0.051	12	0.354
347/1/4	1.000	72	0.392

(1)	(2)	(1)	(2)
73	0.240	69	0.051
153	0.190	129	0.253
159	0.177	223	0.557
164	0.556	229	0.417
202	0.215	269	0.810
321	0.038	280	0.607
72/354	0.126	306/1	0.816
166/356	0.038	310/1	0.341
164/1	0.556	334	0.266
237/6	2.000	335	0.114
175/1	0.089	275/1	1.801
212/1	0.029	276	0.949
217/1	0.057	134	0.278
225/1	0.053	142	0.480
3/1	0.111	145	0.455
7/3	0.073	237/5	0.784
166	2.693	262/3	0.217
203/3	0.101	242/2	3.036
236/3	1.908	172/1	0.050
239/3	0.480	265/2	0.076
339/1	0.426	279	0.197
235/3	2.023	281	0.645
238	0.772	337/2	1.137
247	1.213	265/357/1	0.133
213	0.177	261	0.063
230	0.430	262/4	0.218
2	0.266	347/1/2	1.000
4	0.304	311/4	0.750
217/4	0.057	310/2	0.228
225/7	0.052	167/2	0.411
217/5	0.057	303/1/2	1.747
225/5	0.052	273/5	0.784
217/3	0.057	273/3	2.000
118/2	0.162	168/1/1	0.055
168/2	0.222	262/1/1	0.055
214	0.215	263/1	0.031
242/1	0.506	276/4/1	0.063
226/1	0.500	303/1/5	1.506
337/10/1	1.265	168/1/3	0.055
237/2	0.759	262/1/3	0.054
68	0.126	273/4/3	0.630

(1)	(2)	(1)	(2)
263/3	0.032	337/1/5/1	0.759
272/2	0.312	225/6	0.052
168/1/4	0.059	311/2	0.506
262/1/4	0.054	307/1	1.264
263/4	0.031	240	2.618
276/4/4	0.064	300/2	0.606
303/1/4	1.506	155	0.392
271/2/2	0.350	165	0.063
284	0.860	301/2	0.253
285/1/1	0.019	189	0.392
285/1/2	0.016	308/3/2	0.250
286/1/2	0.142	181	0.215
287/1	0.189	337/1/11	1.000
287/2	0.190	337/1/4	0.595
289/2	1.000	304/2	0.481
103/2/1	0.063	235/2/1	1.000
271/2/1	0.700	341	0.911
290/1	1.000	337/1/16	1.000
286/1/1	0.142	322/1	0.620
295	1.353	320/1/2	0.063
67	0.101	337/6	0.379
172/2	0.051	322/2	0.190
265/1	0.076	308/2	0.500
277	0.190	318/3	1.000
265/357/2	0.133	337/1/17	1.000
278	0.834	318/4	1.000
336/2	0.630	303/1/10	1.000
237/1	0.759	283	0.974
337/11/1	0.506	303/1/8	1.000
337/1/6/1	0.759	303/4	1.000
337/1/3	1.265	303/3/2	1.000
219	0.202	308/8	1.000
250	0.860	303/1/7	1.000
45/360	0.152	290/4	1.000
45/370/1	0.132	235/2/3	1.000
216/2	0.260	273/10	1.000
224	0.417	308/7	0.500
337/5	1.012	282/2	1.000
337/1/5/2	1.000	303/1/9	1.000
337/1/2	1.189	273/11	1.000
347/6	6.070	290/2	1.000

(1)	(2)	(1)	(2)
133	0.367	262/5	0.218
140	0.013	272/3	0.311
141	0.316	303/1/3	0.397
179	0.266	237/7	0.506
183	0.038	300/1	0.606
185	0.139	273/2	0.784
186	0.164	271/1/1	0.502
274	0.304	285/2	0.031
136	0.240	286/2	0.284
7/3	0.268	307/2	0.986
46/2	0.253	337/1/8	1.000
13	0.013	347/1/3	1.000
148/2	0.013	311/3	0.750
147/2	0.049	290/5	1.000
135	0.164	290/6	1.000
132/1	0.171	337/3	0.506
143/1	0.171	175/2	0.089
146/2	0.512	212/2	0.030
130/1	0.013	319/1	0.025
131/1	0.164	337/3/1	0.253
137/1	0.051	337/7/1	0.189
138/1	0.177	338/362/1	1.556
139/1	0.006	168/1/2	0.055
144/1	1.239	262/1/2	0.054
150/2	0.057	263/2	0.032
151/1	0.152	273/4/2	0.063
187/1	0.031	237/4	0.759
188/1	0.045	350	0.620
246/1	0.512	121	0.999
297/1	0.259	315	0.759
312/1	0.026	226/3	0.322
312/1	0.026	227	0.253
131/1	0.019	228	0.405
143/2	0.171	317	0.038
132/2	0.171	130/2	0.012
146/1	0.512	131/2	0.165
147/1	0.044	137/2	0.050
148/1	0.012	139/2	0.007
150/1	0.057	151/2	0.152
144/2	1.239	152/2/2	0.708
187/2	0.032	178/2/2	0.100
178/2/1	0.071	188/2	0.044
		246/2/2	0.256

(1)	(2)	(1)	(2)
297/2	0.260		ग्राम—चौकी
312/2	0.025	12/5	0.025
313/2	0.019	32/160/3	0.569
138/2/2	0.133	12/11	0.025
337/10/2	1.265	73/5	0.947
337/1/3/1	1.265	32/160/8	0.506
160/360	0.013	7/1	1.327
216/1	0.006	2/1/2	0.526
275/2	1.802	15/12	0.245
338/362/2	1.556	32/160/9/2	0.253
19/353/2	0.063	32/160/4	0.506
184/2	0.019	15/5	0.196
176/2	0.095	36/1/6	1.400
195/2	0.101	37/1	0.099
221/2	0.208	17/1/2	0.423
241/2	1.013	36/2/1/2	0.370
251/2	0.341	15/6	0.196
338/2	1.006	37/2	0.099
336/2	0.630	15/7	0.196
337/10/3	0.633	37/3	0.100
170	0.025	15/3	0.196
215	0.215	37/4	0.100
249	1.126	127/4	0.500
264	0.885	131/5	0.211
266	0.506	147/7	0.348
298	0.493	102/4	0.061
337/363	0.481	104/4	0.060
273/12	1.000	107/4	0.053
303/1/12	1.000	111/4	0.061
255/1	1.000	113/3	0.063
303/1/11	1.000	126/2	0.252
303/3/2	1.000	131/8	0.632
303/3/4	1.000	137	0.025
344/1/9	1.000	138/3	0.055
290/3	1.000	109/4	0.040
337/1/7	1.000	104/2	0.060
337/1/9	1.000	3/3	0.104
337/1/10	1.000	13/3	0.256
337/1/12	1.000	3/4	0.104
337/1/13	1.000	13/4	0.256
337/1/6/2	1.000	17/1/1	0.424
174	0.228	36/2/1/1	0.370
योग . . .	<u>189.913</u>	32/160/11	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
36/1/8	1.300	131/3	0.211
15/8	0.245	135/3	0.397
37/8	0.165	152/1/5	0.264
15/10	0.245	102/1/2	0.021
37/7	0.166	132/1/2	0.034
15/11	0.245	107/1/2	0.018
37/6	0.166	104/1/2	0.017
99/3	0.100	136/1/2	0.027
102/3	0.061	126/1/2	0.029
104/3	0.061	131/11	0.211
107/3	0.050	16/2	0.701
109/3	0.040	32/160/12	1.012
111/3	0.061	3/5	0.104
113/4	0.063	13/5	0.256
122/2	0.253	145/3	2.162
138/2	0.082	95	0.354
131/10	0.632	97	0.164
102/5	0.061	98	0.531
104/5	0.061	34/3	0.632
107/5	0.057	145/5	0.481
109/5	0.030	83/2	0.436
111/5	0.065	89	0.696
113/1	0.063	127/6	0.500
132/2	0.164	6	0.606
136/3	0.167	120/2	0.562
138/4	0.077	92/2/5	0.024
146	0.025	147/3/5	0.116
127/5	0.500	131/6	0.211
132/3	0.164	135/6	0.397
131/9	0.633	152/1/6	0.263
147/8	0.347	102/1/5	0.020
94	0.240	132/1/5	0.034
100	0.303	107/1/5	0.018
105/1	0.190	104/1/5	0.016
36/1/13	0.759	136/1/5	0.026
8/2	1.116	126/1/5	0.028
9/2	1.840	91/2/5	0.032
36/1/7	0.787	147/5	0.348
150/1/4	1.213	91//2/6	0.032
4	0.922	92/2/6	0.025
91/2/2	0.033	147/3/6	0.116
92/2/2	0.024	135/7	0.397
147/3/2	0.116	152/1/7	0.263

(1)	(2)	(1)	(2)
102/1/6	0.020	3/1/1	0.023
122/1/6	0.034	13/1/1	0.063
107/1/6	0.018	11/1	0.373
104/1/6	0.016	34/1	0.650
126/1/6	0.026	11/2	0.664
132/1/6	0.034	34/2	0.657
131/4	0.211	91/2/1	0.033
91/2/4	0.033	92/2/1	0.024
92/2/4	0.024	147/3/1	0.116
147/3/4	0.116	131/1	0.210
135/5	0.397	135/1	0.398
152/1/4	0.263	152/1/1	0.264
102/1/4	0.021	102/1/1	0.021
132/1/4	0.034	132/1/1	0.034
107/1/4	0.018	107/1/1	0.017
104/1/4	0.017	104/1/1	0.017
136/1/4	0.027	136/1/1	0.027
126/1/4	0.028	126/1/1	0.029
91/2/3	0.033	121/2	0.183
92/2/3	0.024	136/2	0.158
147/3/3	0.115	127/7	0.500
135/4	0.398	131/7	0.632
152/1/3	0.236	102/2	0.063
102/1/3	0.021	109/2	0.040
132/1/3	0.034	111/2	0.060
107/1/3	0.018	113/2	0.063
104/1/3	0.017	99/2	0.089
136/1/3	0.027	145/4	0.531
126/1/3	0.029	32/160/5	0.506
36/2/2	1.195	15/2	0.494
36/2/3	1.195	36/1/9	1.173
150/1/4	1.213	37/10	0.248
36/1/1	1.253	36/1/10	1.173
16/1	0.701	15/1	0.493
151/1	0.303	37/9	0.249
72/2	1.350	36/1/12	2.000
36/1/2	1.253	150/1/2	1.535
2/1/1	1.264	5	0.797
32/166/10	0.506	150/8/1	2.530
127/2	1.300	150/8/2	2.530
120/3	0.060	84	0.278
2/2/1	0.253	85	0.051
7/2	1.059	88	0.176

(1)	(2)	(1)	(2)
91/1	0.467	121/6	0.092
105/2	0.227	122/3	0.126
106	0.076	126/3	0.172
142	0.367	130/3	0.175
143	0.923	132/4	0.204
144	0.038	135/2	2.384
148	0.696	136/4	0.160
87	1.630	138/5	0.108
93	0.670	147/4	0.695
110	0.303	152/1/2	1.580
75	0.076	15/4	0.196
76	1.708	36/1/5	1.400
77	0.089	37/5	0.100
80	2.074	99/1	0.095
78	1.669	115/2	0.108
79/1	1.012	121/1	0.092
79/2/1	1.518	122/1	0.127
145/2	1.202	130/1	0.175
79/2/2	2.720	138/1	0.107
101	0.733	103/1	0.045
114	0.342	109/1	0.057
128	0.531	111/1	0.122
129	0.354	116	0.266
134	1.074	117	0.341
147/2	0.974	118	0.430
145/6	1.264	119	0.051
145/9	1.265	124	0.405
155/1	2.719	3/1/4	0.023
96	0.443	13/1/2	0.064
140	0.696	120/1	0.768
141	0.353	3/1/2	0.023
145/8	5.059	13/1/4	0.064
150/1/3	1.535	130/2	0.357
151/2	0.304	12/1	1.302
150/1/3	1.535	73/4	1.036
91/2/7	0.195	32/160/6	0.506
92/1	0.146	150/7	0.784
99/4	0.095	12/9	0.025
103/2	0.044	15/9	0.013
107/6	0.108	150/5	2.668
109/6	0.058	150/6	5.059
111/6	0.123	36/1/3	1.300
115/1	0.107	32/160/2/1/2	0.500



(1)	(2)	(1)	(2)
32/160/2/3	0.499	14/1	0.493
12/4	0.025	35/1	1.475
12/6	0.013	35/6	0.633
12/7	0.025	14/2	0.493
32/160/9/1	0.253	35/2	1.476
32/160/7	0.506	35/7	0.632
12/10	0.038	8/1	1.125
12/8	0.038	9/1	1.840
12/12	0.064	17/2	2.315
3/2	0.104	17/3	0.631
32/160/1	0.742	17/156/2	0.621
2/2/2	0.537	32/160/2/2	0.713
7/3	0.268	145/7	5.059
32/4	0.968	36/1/14	0.533
17/4	3.092	147/1	5.412
17/156/1	0.100	150/2	0.354
152/5	5.059	150/3	1.164
32/160/2/1/4	0.139	150/4	0.506
17/6	0.281	152/5	0.885
32/160/2/4	0.713	155/2	0.253
17/5	0.281	102/6	0.123
32/160/2/3	0.713	121/3	0.092
12/3	1.201	30/2	0.607
73/6	0.937	30/1	0.606
153	1.038	150/9	1.607
32/160/10	0.506	32/160/2/1/1	0.999
36/1/11	0.759	147/6	0.348
36/1/4	1.300	136/1/6	0.026
10	0.291	3/1/5	0.011
14/3	0.329		
35/3	0.985		
35/8	0.421		
14/4	0.329		
35/4	0.985		
35/9	0.421		
14/5	0.329		
35/5	0.985		
35/10	0.422		
60/3	0.063		
12/2	0.315		
36/2/1/3	1.650		
127/3	2.000		
		योग . . .	<u>197.378</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु शेष पूरक प्रभावित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 जून 2015

प्र. क्र. 01-अ-82 वर्ष 2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—हटा  
(ग) नगर/ग्राम—डौली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.27 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
449/1 में से	0.07
449/2 में से	0.05
415 में से	0.15

योग . . . 0.27

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरिजन टोला डौली-काईखेड़ा मार्ग निर्माण में अर्जन में आने वाली भूमि.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82 वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पटेरा  
(ग) नगर/ग्राम—इमलिया रावत  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.52 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
264/4 में से	0.02
264/2 में से	0.01
265/1 में से	0.29
263 में से	0.19
269 में से	0.01
योग . . .	<u>0.52</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बधा-इमलिया रावत मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82 वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पटेरा  
(ग) नगर/ग्राम—मुआरी हरदुआ घाट  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
33/1 में से	0.15
33/2 में से	0.15
33/3 में से	0.15
35 में से	0.01
36 में से	0.02
33/4 में से	0.05
32/3 में से	0.05
257/1 में से	0.21
257/2 में से	0.06

योग . . . 0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— हरदुआ घाट मुआरी में ब्यारमा नदी पर पुल निर्माण के अर्जन के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 7 जुलाई 2015

प्र. क्र. 1-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—श्यामपुर  
(ग) ग्राम—बरखेड़ाहसन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.566 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387	0.200
386	0.158
768	0.093
769	0.060
770	0.055

योग . . . 0.566

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा से देहरी मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015

प्र. क्र. 6-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—गौरिहार  
(ग) ग्राम—नाहरपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.398 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1	791/1/1/2	0.121
2	791/3/1	0.138
3	791/3/2	0.139
	कुल रकबा . .	0.398

- (2) उमराहा शाखा नहर की नाहरपुर वितरक क्र. 02 के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण (पूरक).

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. 6951-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—केवलारी  
(ग) ग्राम—मलारा, प.ह.नं. 27/33  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291	0.07
योग . .	0.07

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए आवश्यक है—पुल निर्माण हेतु पहुंच मार्ग.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
मल्हारगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. 2112-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—मंदसौर  
(ख) तहसील—मल्हारगढ़  
(ग) ग्राम—गरावद एवं रणायरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम गरावद, रणायरा.

	सिंचित	असिंचित	कुल
गरावद	3.940	0.450	4.390
रणायरा	0.380	00	0.380
योग . .	4.320	0.450	4.770

अनुसूची (2)

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का		प्रभावित भूमि	
			रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>ग्राम—गरावद की भूमि :</b>						
1	हरिगिर, रामगिर पिता कचरूगिर, सज्जनबाई बेवा छगन गिर, राजूबाई बेवा मांगू गिर, अर्जुन गिर ना. बा. पिता मांगू गिर ना. बा. सर. माता राजूबाई बेवा मांगू गिर गौसाई.	1668 पै. मीन. 1	1.110	0.900	-	0.900
2	गोविन्दसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत	1674 मीन.2.	0.960	0.960	-	0.960
3	कंवरसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत	1674 मीन.3.	0.960	0.960	-	0.960
4	निरभयसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत	1606 1607	0.110 0.130	0.050 0.050	-	0.050 0.050
5	रूपसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत	1586 मीन.2.	0.060	0.060	-	0.060
6	उदयसिंह पिता रूपसिंह सौंधिया राजपूत	1653	0.090	0.050	-	0.050
7	सूरजबाई पति किशनसिंह सौंधिया राजपूत	1605	0.100	0.100	-	0.100
8	कंचनबाई बेवा भेरूलाल गायरी	1581	0.060	0.060	-	0.060
		1582मीन.1	0.030	0.030	-	0.030
		1582/1 मीन.2	0.020	0.020	-	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	दिलीप द. पु. बापूसिंह सौंधिया राजपूत	1101	0.110	0.090	-	0.090
10	लालसिंह, कानसिंह पिता रामसिंह सौंधिया राजपूत	1553 मि.-1	0.050	0.050	-	0.050
		1553 मि.-2	0.370	0.370	-	0.370
		1553 मि.-2	0.050	0.050	-	0.050
11	उदयसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया राजपूत	1698/1	0.450	0.070	-	0.070
12	भुवानीलाल पिता नानूराम गायरी	1603/3	0.540	0.070	-	0.070
13	मदनलाल पिता मन्ना ढोली	1507-मि.-1	0.140	-	0.140	0.140
		1512	0.500	-	0.020	0.020
14	कारूलाल पिता कचरूलाल खटिक	1506	0.830	-	0.052	0.052
15	गजरेसिंह, उदयसिंह, मेहताबसिंह पिता देवीसिंह सौ. रा.	1505	1.200	-	0.100	0.100
		1514	0.410	-	0.020	0.020
		1515	1.040	-	0.040	0.040
16	गोर्धनसिंह पिता मेहताबसिंह सौ. रा.	1516/1	0.500	-	0.040	0.040
		मिन.-1				
17	भगवतसिंह पिता देवसिंह सौंधिया राजपूत	1513	0.600	-	0.038	0.038
(गरावद) कुल योग . .				3.940	0.450	4.390

## ग्राम—रणायरा की भूमि:

1	विनोदसिंह पिता दिलीपसिंह सौ. राजपूत	256	1.170	0.210	-	0.210
2	सूरजबाई बैवा प्रेमसिंह, विक्रमसिंह पिता देवीसिंह, बवालसिंह, रघुवीरसिंह पिता प्रेमसिंह सौंधिया राजपूत.	110	1.520	0.080	-	0.080
3	नन्दलाल पिता फूलचन्द, सूरजबाई बैवा मदनलाल व विनोद कुमार पिता मदनलाल महाजन नि. बुढ़ा	111	1.280	0.090	-	0.090
(रणायरा) कुल योग . .				0.380	-	0.380
(गरावद+रणायरा) महायोग . .				4.320	0.450	4.770

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रणायरा-गरावद तालाब योजना के फीडर चैनल एवं स्पील चैनल के लिये भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2113-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

## अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

- (ग) ग्राम—मगराना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम मगराना रकबा

सिंचित	असिंचित	कुल
1.550	0.360	1.910
योग . .	1.550	0.360
		1.910

## अनुसूची (2)

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का		प्रभावित भूमि	
			रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामीबाई बेवा धनराज, शम्भुलाल पिता धनराज गायरी मगराना.	697	0.090	0.090	-	0.090
2	बापुलाल पिता भेरुलाल गायरी	698	0.090	0.090	-	0.090
3	नन्दा पिता चमना चमार	693	0.140	0.100	-	0.100
4	भेरुलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण	710/1	0.120	0.120	-	0.120
		743/1102/2	0.120	0.090	-	0.090
5	सोहनबाई बेवा शिवनारायण, चन्द्रकला पिता शिवनारायण.	710/2	0.130	0.130	-	0.130
6	जगदीश पिता नाथुलाल ब्राह्मण	710/3	0.130	0.130	-	0.130
		743/1102/1	0.130	0.080	-	0.080
7	मोतीलाल पिता बगदीराम गायरी	743	0.250	0.050	-	0.050
8	शम्भुलाल पिता धनराज गायरी, रामीबाई बेवा धनराज.	739	0.180	-	0.040	0.040
9	गुड्डीबाई पति कारूलाल गायरी	517/2 मीन.1	0.930	0.050	-	0.050
10	गोवर्धनलाल पिता शिवलाल गायरी	517/1 मीन.1	0.110	0.050	-	0.050
11	मांगीलाल पिता रतनलाल चमार	597 मीन.1	0.080	0.080	-	0.080
		593 मीन.1	0.200	0.030	-	0.030
12	गंगाराम पिता नन्दा, सुन्दरबाई बेवा नन्दा, फकीरचन्द्र पिता सालीगराम, देवीलाल पिता गिरधारी, भोनीबाई बेवा वरदा, मोत्याबाई, कलाबाई, कन्चनबाई, अम्बाबाई,	598 मीन.1	0.370	-	0.050	0.050
13	गोविन्द कुंवर पति पर्वतसिंह, करणसिंह पिता पर्वतसिंह	599	0.460	0.250	-	0.250
14	जानीबाई बैवा भेरुलाल कुल्मी, शिवनारायण पिता भेरुलाल.	605	0.110	-	0.110	0.110
15	डंकारलाल, धनराज पिता बापूलाल कुल्मी	604	0.110	-	0.110	0.110
16	भेरुलाल पिता किशनलाल चमार	591	0.250	0.060	-	0.060
17	रोडसिंह पिता दुलेसिंह राजपूत, रोडसिंह-मागूसिंह	467/1105	0.070	-	0.050	0.050
		मीनू.1				
18	राजमाल पिता किशोर गुर्जर	626 मीन.1	1.100	0.150	-	0.150
		कुल योग . .		1.550	0.360	1.910

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रतन पिपल्या तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मगराना की भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.